[illegible] माला, खंड 22, अंक 24

गुरूवार, 29 दिसम्बर, 2011
8 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 29 April 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 22 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

---

*2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 24, गुरूवार, 29 दिसम्बर, 2011/8 पौष, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबधी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-3
राज्य सभा से संदेश	3
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	4
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
24वां और 25वां प्रतिवेदन	4
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'मोलासेस का उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री श्रीकांत जेना	5-11
अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	11
देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में एंसेफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति	11
योगी आदित्यनाथ	11-21
श्री गुलाम नबी आजाद	12-14
श्री रमेश बैस	21-22
डॉ. भोला सिंह	22-25
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	25
श्री शैलेन्द्र कुमार	25-29
विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण)	45
संशोधन विधेयक, 2011	45

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	46
(एक) देश में उर्वरकों की कीमत नियंत्रित करने और किसानों को उचित कीमत पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	46–47
(दो) तमिलनाडु में कुड्डालोर पत्तन को विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. अलागिरी	47
(तीन) मध्य प्रदेश के इंदौर में बंद पड़ी कपड़ा मिलों को फिर से चालू किए जाने और बंद की गई मिलों के कर्मकारों को उनका बकाया दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन वर्मा	47–48
(चार) मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरणीय मिशन के अंतर्गत निष्पादित कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने हेतु केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री प्रेमचन्द गुड्डू	48–49
(पांच) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में करवापा और चाना की लघु सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	49
(छह) उत्तराखंड में छठे वेतन आयोग की प्रसुविधाएं दिए जाने तथा राज्य के समूह 'घ' कर्मचारियों को सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति देने हेतु राज्य सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सतपाल महाराज	49
(सात) गुजरात में महुआ और भावनगर के बीच दैनिक रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाए जाने और अमरेली और ढासा के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
श्री नारनभाई कछाड़िया	50
(आठ) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने और असंतुष्ट कपास किसानों को वित्तीय राहत दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हंसराज गं० अहीर	50–51
(नौ) प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गृह उपलब्ध कराए जाने तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से इंदिरा आवास के निर्माण का भी उपबंध किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	51–52
(दस) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोडासा रेलवे स्टेशन पर रेक प्वाइंट सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	52

विषय	कॉलम
(ग्यारह) गुजरात की भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि उद्योगों की स्थापना करने हेतु अधिगृहीत की गई है, उद्योगों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	53
(बारह) पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में केंद्रीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	53
रूस में भगवद्गीता पर प्रतिबंध के संबंध में	65
अदालती मुकदमे के बारे में	65
विदाई संबंधी उल्लेख	65–68
राष्ट्रगीत	68

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरूवार, 29 दिसम्बर, 2011/8 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

निधन संबधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे अपने एक पूर्व सहयोगी डॉ० बापु कालदाते के दु:खद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

डॉ० बापु कालदाते वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

डॉ० कालदाते वर्ष 1984 से 1996 तक दो बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1967 से 1972 तक वे महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल सांसद, डॉ० कालदाते छठी लोक सभा के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति रहे। छठी लोक सभा के दौरान वे सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, डॉ० कालदाते ने अपने निवार्चन क्षेत्र में विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और सहकारिता आन्दोलन में विशेष रुचि ली।

डॉ० बापु कालदाते का निधन 81 वर्ष की आयु में 17 नवम्बर, 2011 को हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक-संतप्त परिवार को संवेदना प्रेषित करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): अध्यक्ष महोदया, मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड), तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड), तिरूवनंतपुरम का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6106/15/11]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ० एस. जगतरक्षकन): महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री डी. नैपोलियन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:-

(1) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6107/15/11]

(3) (एक) रिहैबिलिटेशन कार्उंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन कार्उंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6108/15/11]

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:-

(1) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनलें फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6109/15/11]

पूर्वाह्न 11.02¼ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 28 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार लोक सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 2011 को पारित संविधान (97वां संशोधन) विधेयक, 2011 को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है।"

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

डॉ० मन्दा जगन्नाथ (नागर करनूल): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के नौवे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.02¾ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 2011-2012 के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों पर अठारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों पर उन्नीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'शीरे (मोलासेस) के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और संवितरण' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदया, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "शीरे के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और संवितरण" से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

*मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में 'शीरे के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और संवितरण' के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के तेरहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

शीरे के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और संवितरण के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने जांच की और दिनांक 08.12.2010 को लोकसभा/राज्य सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में छः सिफारिशें हैं। इन सिफारिशों का सार निम्नानुसार है:-

(i) गन्ने के उत्पादन के उतार-चढ़ाव वाले रुझान, जिससे शीरे का उत्पादन प्रभावित हुआ है, के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए समिति ने यह महसूस किया कि प्रत्येक वर्ष गन्ने की संतोषजनक उपलब्धता सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। चूंकि गन्ना उत्पादन कृषि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त की कि गन्ना उत्पादन की अनवरत वृद्धि के लिए तौर-तरीके एवं उपाय की रूपरेखा तैयार करने के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग को कृषि मंत्रालय के साथ समन्वय करना चाहिए। इस संबंध में समिति ने यह सिफारिश की, कि गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता के लिए विभाग को कृषि मंत्रालय पर जोर देना चाहिए।

(ii) भारत में मानवीय खपत के लिए शीरे के उपयोग को बढ़ावा देने और इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा शीरे का उत्पादन को इस तरह संवर्द्धित किया जाएगा कि औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ यह मानवीय खपत को भी पूरा करेगा।

(iii) शीरे की प्रचुर मात्रा और अंतिम उपयोगकर्त्ता के लिए उचित मूल्य पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। विभाग को शीरा उत्पादनकर्त्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की व्यवहार्यता की तलाश करनी चाहिए और खाद्य और जन वितरण प्रणाली विभाग और कृषि और सहकारिता विभाग के साथ समन्वय के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपेक्षित गन्ने और शीरे का पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समिति, यदि आवश्यक हो, गठित करनी चाहिए। रूग्ण चीनी मिलों को पुनरूज्जीवित करने के लिए सरकार को उपयुक्त त्वरित कदम उठाने चाहिए जिससे न केवल गन्ने का अत्यधिक उपयोग सुनिश्चित होगा बल्कि इससे चीनी, शीरा और एथनॉल के उत्पादन में वृद्धि होगी जिसकी न केवल जनता को बल्कि औद्योगिक ईकाइयों प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है।

(iv) विभाग को यथाशीघ्र शीरे के लिए उचित निगरानी तंत्र की रूप-रेखा तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति ने यह सिफारिश की कि विभाग को शीरे के मूल्य और संवितरण संबंधी शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 को वापस लिए जाने के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए और आज के समय में कुछ नियंत्रण तंत्र लागू करने की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार करना चाहिए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6110/15/11

(v) डी-नेचर्ड इथाईल अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटा कर 8% कर दिया गया है, लेकिन शीरे पर विशेष शुल्क में तदनुरूपी कमी नहीं की गई है। चूंकि शीरे पर शुल्क की कमी से रसायन उद्योग में वृद्धि होगी, इसलिए विभाग को इस संबंध में शीघ्र निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय के साथ उचित स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए।

(vi) अलग-अलग उद्योगों को एथनॉल के संवितरण के संबंध में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग एवं पेट्रोलिम और प्राकृतिक मंत्रालय को आपस में समन्वय करना चाहिए और एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अलग-अलग उद्योगों के लिए एथनॉल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग उनके द्वारा शीरे के उत्पादन में सुधार के लिए दिए गए सुझाव पर शीघ्र कार्रवाई करेगा। गन्ने के रस से सीधे एथनॉल का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक ईकाइयों को अनुमति देने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिसे गन्ने की मांग में वृद्धि होगी और बदले में किसानों को भी लाभ होगा।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्थायी समिति की सिफारिशों से अवगत करा दिया गया है और उत्तर का सार निम्नानुसार है:-

(i) गन्ने के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के मामले को कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के साथ उठाया गया था। कृषि और सहकारिता विभाग ने यह सूचित किया कि परीक्षण ऑकड़ों से यह स्पष्ट है कि गन्ने के फसल की उत्पादकता में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। विद्यमान गन्ना उत्पादन क्षेत्र (जो 42 से 50 लाख हेक्टेयर के बीच है) के साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों और नई-नई खोजों के माध्यम से गन्ने की उपज में वृद्धि के स्तर को बढ़ा कर गन्ने की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है।

(ii) विभाग ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया था जिसमें उनसे समिति की सिफारिश के अनुसार उपयुक्त कदम उठाने और कृत कार्रवाई की सूचना इस विभाग को देने का अनुरोध किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सुझाव दिया कि भारत में मानवीय उपभोग के लिए शीरे के उपयोग से संबंधित रिपोर्ट में उठाए गए मामले के समाधान एवं विचार-विमर्श के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा समन्वित संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया जाना चाहिए। रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में संयुक्त कार्रवाई समिति गठित की जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग (निदेशक, गन्ना विकास महानिदेशाल्य, लखनऊ), खाद्य और जन संवितरण विभाग (निदेशक, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान, कानपुर) के प्रतिनिधि और इस विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक दिनांक 04.05.2011 को आयोजित की गई थी। समिति के सदस्यों ने यह महसूस किया कि चक्रीय प्रकृति और बढ़ती मांग के कारण और साथ ही पेट्रोल कार्यक्रम में एथनॉल ब्लैंडिंग के लिए एथनॉल के नए उपयोग के कारण, यदि कुछ शीरे को नए अनुप्रयोगों के उपयोग किया जाता है, तो संभावना है कि एथनॉल के उत्पादन के लिए शीरे की औद्योगिक आवश्यकता पूरी नहीं हो पायेगी। इसके अतिरिक्त डिस्टलरी के मांग को पूरा करने के लिए समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध नहीं है, इसलिए शीरे के उपयोग के लिए अन्य उपाय तलाशने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। भरपूर फसल के वर्ष में, जरूरत के बाद बचे गन्ने को सीधे ही एल्कोहल बना दिया जाता है, जो कि एल्कोहल की कमी को पूरा कर सकता है। भारत में, गन्ना शीरा जोकि चीनी उत्पादन की प्रक्रिया का एक व्युत्पाद है, को सीधे तौर पर मानवीय उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बायोमास/बायोकेमिकल्स होते हैं, और व्युत्पाद शीरा के प्रसंस्करण के पश्चात् ही, इसका मानव के लिए उपयोग हो सकता है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के मामले को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(एफएसएमएओई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाने का सुझाव दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएमएआई) ने अपने 13.09.2011 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है, कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इसके नियम व विनियम मानव खपत के लिए खाद्य के रूप में शीरे के उपयोग की अनुमति नहीं देते हैं। एफएसएसएआई के 04.11.2011 के पत्र में जानकारी प्राप्त हुई है, कि गन्ने, अंगूर, तथा शकरकंद को चीनी में बदलने की प्रक्रिया में शीरा एक दोषपूर्ण व्युत्पाद है। शीरे का स्वाद कड़वा होता है। कालाशीरा (चीनी के तीसरी बार उबालने पर प्राप्त) में विटामिन एवं कुछ खनिज जैसे- कैल्सियम, मैगनीज्म, पोटेशियम, एवं आयरन मौजूद होते हैं। शीरा में गन्ने

की फसल में उपयोग किए गए हबीसाइड एवं इंस्केटीसाइड का कुछ स्तर मौजूद हो सकता है। तथापि, शीरा पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि, कोई पीएफए मानक मौजूद नहीं है। कोई इसकी गुणवत्ता/सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकता है। संयुक्त कार्रवाई समिति उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार कर रही है और प्रारूप रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

(iii) गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने, शीरा उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन स्कीम, विभिन्न उपयोगों के लिए आवश्यक गन्ना तथा शीरा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करने के लिए आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए खाद्य एवं जन वितरण विभाग तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधियों के साथ 25.01.2011 को एक बैठक हुई थी। यह सूचित किया गया था कि देश में चीनी उत्पादन की अधिशेष क्षमता मौजूद है। तथापि, चीनी का उत्पादन इसकी चक्रीय प्रकृति होने के कारण घटता-बढ़ता रहता है। सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) मूल्य निर्धारित किया है। कुछ राज्य सरकार एमआरपी से अधिक मूल्य अदा कर रही हैं। कृषि मंत्रालय ने भी गन्ना उत्पादन स्कीम को कृषि संबंधी माइक्रो मैनेजमेंट मोड के अधीन रखा है। सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश में भी संशोधन किया है और गन्ने के रस को सीधे एथेनॉल में बदलने की अनुमति दी है। खाद्य एवं जन वितरण विभाग ने सूचित किया है कि चीनी विकास निधि (एसडीएफ) से ऋण चीनी मिलों को गन्ना विकास के लिए प्रदान किया जाता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा खाद्य एवं जन वितरण विभाग में गन्ना व चीनी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना मौजूद है और चूंकि शीरा अलग से उत्पादित नहीं होता है, किन्तु चीनी मिलों द्वारा चीनी की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान व्युत्पाद के रूप में उत्पादन होता है, शीरा उत्पादन के लिए पृथक प्रोत्साहन योजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए गन्ना एवं शीरा की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करने के संबंध में, चूंकि गन्ने का उत्पादन चक्रिक प्रकृति का है, इसलिए गन्ने का उत्पादन की मात्रा सुनिश्चित करना कठिन है। खाद्य सुरक्षा का विषय भी महत्वपूर्ण है और गन्ने की बजाए खाद्यान्न पर जोर देना अधिक आवश्यक है। अत: स्थायी समिति के तत्वाधान में यह सुझाव दिया गया था कि योजना आयोग से समुचित समन्वय तंत्र के लिए संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों सी एक समिति गठित करने का अनुरोध किया जा सकता है। रूग्ण चीनी मिलों के पुनरूद्धार के संबंध में, खाद्य एवं जन वितरण विभाग ने सूचित किया है कि एसडीएफ नियमों के प्रावधानों के अधीन एक निजी या सार्वजनिक क्षेत्र चीनी मिल के संबंध में एक रूग्ण ईकाई का पुनरूद्धार के लिए बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धान पैकेज प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और सहकारी चीनी मिल होने की दशा में पैकेज में एमडीएफ ऋण का अवयव के साथ, पुनर्वास समिति (सीओआर) समिति के अनुमोदन को जरूरत होती है एसडीएफ से ऋण गन्ने के विकास तथा पुनर्वास/अनुनिकीकरण दोनों के लिए उपलब्ध है।

(iv) शीरा के नियंत्रण तथा विनियंत्रण नीति की समीक्षा के संदर्भ में यह पुन: कहा जाता है कि शीरा का मूल्य एवं वितरण केन्द्र सरकार द्वारा शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अधीन 10 जून, 1993 तक विनियमित था। केन्द्रीय शीत बोर्ड सुझाव पर आबंटन किए जाते थे किंतु गैर-सांविधिक आधार पर आबंटन नहीं किया जाता था। केन्द्र सरकार के आबंटनों को भी राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह सम्मानित नहीं किया जाता है। आबंटन प्राप्त करने में अप्रत्याशित विलम्ब की सूचना भी है। इन सब कारकों का ध्यान में रखते हुए और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में उदारीकरण नीति के अनुरूप चलने के लिए, शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 को 10 जून, 1993 से स्थगित कर दिया गया था। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की गई है और यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण युग को पुन: शुरू करने के मुद्दे को पुन: उठाया जा सकता है और खुला बाजार आर्थिक तंत्र के वर्तमान युग में ऐसे नियंत्रण को बहाल करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तथापि, विभाग ने इस मुद्दे को हर शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों के साथ उठाया और इस विषय पर उनके विचार मंगवाए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकारों की टिप्पणियों से प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्य सरकारें शीत पर थोड़ा नियंत्रण किसी न किसी रूप में रख रही है और शीत पर केन्द्रीय नियंत्रण को वापिस लाने पर

सहमति जुटाना संभव नहीं हो सकेगा और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खुला बाजार अर्थव्यवस्था के वर्तमान युग में ऐसे नियंत्रण को पुन: लाने का कोई औचित्य नहीं। शीरा का मूल्य पर आंकड़ों के संबंध में, विभाग ने मुद्दे की प्रमुख शीरा उत्पादक राज्यों के साथ उठाया है और हाल में जुटाई गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2009-10 के दौरान शीरा का औसत मूल्य 415 रुपए प्रति क्विंटल था।

(v) चूंकि, डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल पर उत्पाद शुल्क का 10% पर पुर्नस्थापित कर दिया गया है, इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ नहीं उठाने का निर्णय लिया गया है।

(vi) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल मूल्यांकन पर डा० सौमित्र चौधरी, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सुझाव देती है कि विभिन्न उपयोग कर्त्ताओं के लिए एल्कोहल में आबंटन की प्रक्रिया भिन्न होनी चाहिए। गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल उत्पादन के संबंध में केन्द्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2007 में गन्ना नियंत्रण आदेश, 1996 को संशोधित कर दिया है और चीनी मिलों को गन्ने के रस को सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में एंसेफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी।

[अनुवाद]

योगी आदित्य नाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें:

"देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में एंसेफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर फैलने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): अध्यक्ष महोदया, जापनी एंसेफेलाइटिस सहित एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) एक गम्भीर जन स्वास्थ्य चुनौती है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): योगी जी, अगर आप हिन्दी में बोले होते तो मंत्री जी हिन्दी में जवाब देते। पूरा देश सही बात समझता कि सरकार और मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यह बहुत ही बड़ा तकनीकी नाम है और इन तकनीकी नामों का अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं किस वायरस का क्या बन जाएगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी, आप बोलिये, आपनी बात कहिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): इसका हिन्दी नाम दिमागी बुखार या मस्तिष्क जवर है। इसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आज़ाद: बहरहाल, शुरूआत अंग्रेजी से होगी तो उत्तर भी अंग्रेजी में होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्यों खड़े हो गये हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: शुरूआत ही अंग्रेजी में हुई है तो मैं कैसे हिन्दी में जवाब दूं।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री महोदय, आप बोलिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: देखिये, आप इसे विवादित मत बनाइये, इसकी ट्रांसलेशन सब भाषाओं में है और स्वास्थ से संबंधित कुछ ऐसे क्षेत्र में जो बिल्कुल ही तकनीकी हैं और उन क्षेत्रों में यह विशेष रूप से बीमारी है।

[अनुवाद]

एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिन्ड्रोम से अधिकांशत: 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण अत्यधिक बुखार, बार-बार बेहोश होना और शरीर में ऐंठन व कंपकपी का होना है। ऐसा आकलन है कि इससे प्रभावित करीब 25 प्रतिशत बच्चों की जान चली जाती है और शेष बच्चों में से करीब 30 से 40 प्रतिशत बच्चों को शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचती है। ए. ई. एस एक जटिल समस्या है और इसके विभिन्न कारक हैं जिनमें जे. ई. और एंटेरो वायरसेज शामिल हैं।

जापानी एंसेफेलाइटिस (जे. ई) की वजह से होने वाला मस्तिष्क ज्वर एक वायरस के वजह से होता है और यह वायरस मच्छर द्वारा शरीर में पहुंचता है। जे. ई. वायरस के मुख्य भण्डार सुअर और जलपक्षी हैं और इन जानवरों में इस वायरस का प्राकृतिक चक्रण चलता रहता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस के पहली बार भीषण रूप में फैलने की सूचना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में 1973 में मिली थी। तत्पश्चात् 1978 में इस बुखार के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग विशेषकर गोरखपुर और बस्ती मंडलों में अत्यंत भीषण रूप से फैलने की सूचना मिली थी। वर्तमान में 19 राज्यों के 171 जिलों से एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम फैलने की सूचना है। वर्ष 2011 के दौरान, 27 दिसंबर एक देश में 7,813 ए. ई. एस. मामलों और 1,133 मौतों की सूचना है। ए. ई. एस. से सर्वाधिक प्रभावित राज्य 3,474 मामलों और 575 मौतों के साथ उत्तर प्रदेश; 1,391 मामलों और 250 मौतों के साथ असम, 714 मामलों और 40 मौतों के साथ पश्चिम बंगाल तथा 821 मामलों और 197 मौतों के साथ बिहार है।

वर्तमान में, जापानी एंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए मात्र एक टीका उपलब्ध है। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के अन्य मामलों की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं है। वर्ष 2006 से भारत सरकार ने जापानी एंसेफेलाइटिस का टीका प्रभावित जिलो में चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया है। जापानी एंसेफेलाइटिस का प्रकोप कम हो रहा है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में ए. ई. एस. मामलों में जापानी एंसेफेलाइटिस होने की दर वर्ष 2005 के 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 6.4 प्रतिशत हो गई है।

ए. ई. एस का एक अन्य मुख्य कारक एंटेटो - वायरसेज हैं, जो प्राथमिक रूप से असुरक्षित पेयजल के प्रयोग से शरीर में प्रवेश करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हाल ही में गोरखपुर गया था और विशेषज्ञों, अधिकारियों एवं स्थानीय लोगों से बातचीत की थी तथा मुझे यह बात स्पष्ट हुई कि ए. ई. एस. मात्र एक चिकित्सीय समस्या नहीं है बल्कि यह कहीं एक वृहत्तर और जटिल विकास मुद्दा है और साथ ही यह सुरक्षित पेयजल, बुनियादी स्वच्छता, व्यक्तिगत सफाई और पोषण सहित स्वास्थ्य के विभिन्न सामाजिक निर्धारकों के साथ जुड़ा है। इस समस्या से प्रभावपूर्ण तरीके से लड़ने हेतु एक बहुमुखी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें रोकथाम, मामला प्रबंधन और पुनर्वास उपाय शामिल हों।

इस रणनीति को विभिन्न मंत्रालय, यथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी तथा राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से ही सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। इस तथ्य को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने एक व्यापक बहुआयामी रणनीति तैयार करने हेतु 4 नवम्बर, 2011 को एक मंत्रिसमूह गठित किया है। इस मंत्रिसमूह की तीन बैठकें 21 नवम्बर, 2011, 25 नवम्बर, 2011 और 9 दिसम्बर, 2011 को हो चुकी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: अभी योगी आदित्यनाथ जी की बारी है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदया: अभी उनकी बारी है।

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार की तरह ही यहां पर एक लिखित वक्तव्य, जो मंत्रालय के अधिकारियों ने दिया होगा, वही पढ़कर सुना दिया है और यह लिखित वक्तव्य मैं पिछले 13 वर्षों से इस सदन में सुन रहा हूं।

महोदया, इनसिफलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार है, यह इस देश में 1956 में पहली बार आया था और 1978 में पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसके मामले देखने को मिले थे। वर्ष 1998 से लेकर अब तक लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं है, जो मैंने इस सदन का और सरकार का ध्यान किसी न किसी नियम के तहत इस मामले की ओर आकर्षित न किया हो। लेकिन मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 33 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों की लगातार हो रही मौतें आखिर क्या प्रदर्शित करती हैं। क्या स्वस्थ जीवन जीने की आजादी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों को नहीं है? साल दर साल वहां हो रही मासूम बच्चों की मौतें क्या प्रदेश और केन्द्र सरकारों की उपेक्षा को

प्रदर्शित नहीं करती है? जो गैर सरकारी आंकड़े हैं, उनके अनुसार पिछले 33 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात जिलों में एक लाख से अधिक मौतें हुई हैं और इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रोग से अक्षम हुए हैं।

महोदया, पिछले वर्ष भी मैंने 31 अगस्त को एक कालिंग अटैन्शन के माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और माननीय आडवाणी जी ने भी उस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सरकार से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन अत्यंत दुखद है कि जो आश्वासन 31 अगस्त, 2010 को इसी सदन में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने दिये थे, उन पर आज तक अमल नहीं हो पाया। पिछले वर्ष इसी मंत्रालय ने मुझे जो पत्र भेजा था, यदि उसके अनुसार मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो वर्ष 2005 में दिमागी बुखार के 6061 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 1500 की मौतें हुईं। वर्ष 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 528 की मौतें हुईं। वर्ष 2007 में 3024 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 995 की मौतें हुईं। वर्ष 2008 में 3015 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 684 की मौतें हुईं। वर्ष 2009 में 784 बच्चों की मौत हुई और मेरे पास पूर्वी उत्तर प्रदेश के अकेले बी.आर.डी. मैडिकल के आंकड़ें हैं, जिनके अनुसार वर्ष 2010 में 3503 मरीज भर्ती हुए, जिनमें 514 की मौतें हुईं तथा इस वर्ष अब तक 3275 मरीज भर्ती हो चुके हैं और कल तक 624 बच्चों की मौतें अकेले बी.आर.डी. मैडिकल कालेज में हुई है। मौतों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। मैं सात जिलों का आंकड़ा बता रहा हूं कि कल तक 625 मौतें अकेले बीआरडी मैडिकल कॉलेज, गोरखपुर में हुई हैं। ये मौतें तब हो रही हैं जब कि पिछले 13 वर्षों से मैं लगातार इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैं इस बीमारी के बारे में लगातार आवाज उठाता रहा हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। इसे महामारी घोषित किया जाए और इसके उन्मूलन के लिए किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जाए। महोदय, मेरे द्वारा इस बात को सदन में उठाने के बाद एनडीए सरकार में कुछ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और उसका परिणाम था कि सन् 2004-05 के बाद वहां पर वैक्सिनेशन प्रारंभ हुए। वेक्सिनेशन के परिणाम सामने आए और जेई के केसेज़ कम हुए हैं। वह आज 36 प्रतिशत से घट कर 6 प्रतिशत पर आ गया है। लेकिन जहां जेई से होने वाली मौतें कम हुई हैं वहीं एंट्रोवायरस से होने वाली मौंते लगातार बढ़ी हैं। हम लोग इस भंवर जाल में फंसे हुए हैं कि वह जेई है, वीई है या एईएस है। तीन बार लगने वाले टीकों को सरकार ने सिर्फ एक-दो बार लगाकर छोड़ दिया है। टीकारण भी मई-जून में किया गया। इस बार तो देखा जा रहा है कि इस बीमारी से पूरे साल भर मौतें हो रही हैं। अक्सर हम लोग देखते थे कि 15 नवंबर के बाद मौतें नहीं होती थीं लेकिन आज भी लगातार वहां मौतें हो रही हैं। लगातार तीन-चार, तीन-चार मौतें हो रही हैं। इससे पहले जब जेई के केसेज़ ज्यादा होते थे तो 15 नवंबर के बाद मौतें होनी बंद हो जाती थीं और इन्सेफेलाइटिस के मरीज आने बंद हो जाते थे। जो टीकाकरण फरवरी-मार्च में होने थे, राज्य सरकार ने उन टीकाकरणों को मई-जून में कराया। बीमारी के केसेज़ 15 जून के बाद से, जुलाई प्रारंभ होने के बाद से, बरसात होने के बाद आने प्रारंभ होते हैं। टीकों को एक्टिवेट होने में तीन से चार महीनों का समय होता है। लेकिन टीकाकरण भी ईमानदारी से नहीं कराए गए हैं। जिन टीकों को तीन बार कराया जाना चाहिए था, उसको एक बार करा कर सरकार ने अपनी इतिश्री कर दी। टीके की निर्माता कंपनी स्वयं कहती है, उसके रेपर में भी लिखा गया है कि इसको कम से दो या तीन बार लगाया जाना चाहिए। क्या सरकार का यह रवैया है कि एक बार टीकाकरण करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाना नहीं है? क्या वह इस महामारी से मुंह मोड़ने जैसा नहीं है? क्या सरकार इस बीमारी का उपचार मात्र ही चाहती है? क्या बचाव और उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता में नहीं होगा? 33 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सरकार आज तक यह पता नहीं लगा पाई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम किस वायरस का शिकार हो रहा है? वह जेई है, वीई है या एईएस है। अगर सरकार के पास ठोस और दीर्घकालीन राष्ट्रीय इन्सेफेलाइटिस कार्यक्रम होता तो संभवतः यह बीमारी हम सब के सम्मुख ऐसा भयावह दृश्य प्रस्तुत नहीं करती। यह सच है कि यह बीमारी तमिलनाडु में सन् 1956 में आई उसके उपरांत आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल होते हुए सन् 1978 में इसने पहली बार इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैर फैलाए थे। अगर इस महामारी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोका गया होता तो आज उत्तर प्रदेश के 35 जिले इससे प्रभावित नहीं होते। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देश के 19 राज्य और 171 जिले इससे प्रभावित हैं, लेकिन अगर गैर-सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो 26 राज्य इस बीमारी से कम या ज्यादा रूप में प्रभावित हैं। लगातार यह बीमारी मासूम बच्चों को निगलती जा रही है। मुझे बीआरडी मैडिकल कॉलेज में जाने का अक्सर अवसर मिलता है, उन मासूम बच्चों को देखने के लिए और इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का हाल-चाल जानने के लिए अवसर मिलता है। जब मैं बीआरडी मैडिकल कॉलेज में जाता हूं तो मैंने देखा है कि इस बार भी और पिछली बार भी वहां पर दवा के अभाव में बच्चे मरे हैं।

महोदया, चाहे केन्द्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें अपनी प्राथमिकताएं गिनाती हैं कि हम गरीबों और किसानों के लिए लड़ेंगे और दलितों की बात करेंगे लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बीमारी से मरने वाले 99 प्रतिशत बच्चे दलित, गरीब और किसान परिवार के हैं। यह सरकार उन दलितों के बच्चों को, उन गरीबों और किसानों के बच्चों को मरने से नहीं रोक पायी

है। यह इस सरकार के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है, प्रदेश सरकार के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है कि एक तरफ इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का जो अन्तिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वह दवा के अभाव में मर रहा है, लगातार दम तोड़ रहा है। केन्द्र सरकार के मंत्री वहां गये थे, हमें सूचना नहीं, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री को तो वहां जाने की भी फुरसत नहीं हुई। मुख्यमंत्री की बात तो दूर, प्रदेश सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा।

महोदया, दवा के अभाव मे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दम तोड़ रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का उत्तर प्रदेश में घोटाला होता है, लेकिन एनआरएचएम के दवा का अगर एक पार्ट उस बीमारी के उपचार के लिए वहां के सीएससी, वहां के पीएससी, डिस्ट्रक हॉस्पिटल्स के जीर्णोद्धार और उनके पुनरुद्धार के लिए खर्च किया गया होता, तो दवा के अभाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम नहीं मरता, लेकिन लगातार मौतें होती जा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदया, एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दवा के अभाव में लगातार दम तोड़ रहा है और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपये का दवा का घोटाला, एनआरएचएम का दवा का घोटाला उत्तर प्रदेश के अन्दर हुआ है। यह पूरी सरकारों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है।

महोदया, इसीलिए मुझे सरकार की नीति और उसकी नियति पर भी हंसी आती है। माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2007 में एक रिट दाखिल हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को और केन्द्र सरकार को आदेशित किया था कि इंसेफेलाइटिस के पूर्ण उन्मूलन के लिए, इसके बचाव और उन्मूलन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. को गोरखपुर में स्थापित किया जाये। लेकिन इस सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. को एसजीपीजीआई लखनऊ में स्थापित किया। सरकार का यह कृत्य ऐसा ही है, जैसे सरकार कुआं तब खोदती है, जब प्यास से लोग मरने लगते हैं और वह भी वहां नहीं जहां प्यास से लोग मर रहे हैं। जब इंसेफेलाइटिस के मरीजों के 75 से 80 प्रतिशत केसेज गोरखपुर और उससे सटे हुए पांच-सात जिलों में हैं, बिहार और नेपाल से सटे हुए जिलों में हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे. ई. को लखनऊ में खोलने का औचित्य क्या था। जिन सात बिन्दुओं पर इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए कार्य होना था, वह किसी भी स्थिति में लखनऊ में संभव नहीं, क्योंकि 75 से 80 प्रतिशत रोगी तो गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों से हैं। नेपाल और बिहार से हैं। गोरखपुर में जो वायरल रिसर्च सेंटर एनडीए सरकार की पहल के बाद वर्ष 2007 में स्थापित हो पाया, वह भी संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। वह यह बताने में अभी भी सक्षम नहीं है कि वह कौन सा वायरस है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम असमय काल के गाल में समा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 27 सितम्बर, 2007 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक शोध केन्द्र गोरखपुर में स्थापित किया जाये। जिसे केन्द्र तथा प्रदेश सरकारें नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करती रहें। प्रदेश और केन्द्र सरकार सीधे-सीधे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही हैं। आज दोनों सरकारों की उपेक्षा के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस की महामारी से वहां का आम मासूम त्रस्त है, लेकिन सरकार आज भी जे.ई. वायरल इंसेफेलाइटिस या एईएस के भंवरजाल में फंसी है। मौत के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।

महोदया, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के मामले में सरकार ने अत्यंत सतर्कता बरती थी। इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने समाचार पत्रों में, टी.वी. चैनल्स में बड़े-बड़े विज्ञापन दिये, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी घातक महामारी के लिए जन-जागरण अभियान क्यों नहीं? जबकि अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक को देखें तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू से मृत्यु दर मात्र 2 प्रतिशत है और इंसेफेलाइटिस से मृत्यु दर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत है। एनसिफलाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश मे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हुए हजारों मासूम बच्चों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत रीहैबिलिटेशन सैन्टर, जिनकी घोषणा 2009 में इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने मेरे कॉलिंग अटैन्शन के जवाब में की थी, अब तक वह बीआरडी मैडिकल कॉलेज गोरखपुर में शुरू नहीं हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसी सदन में मुझे आश्वासन दिया था कि एनसिफलाइटिस के उपचार एवं उन्मूलन के लिए भारत सरकार पूरी मदद करेगी और बीआरडी मैडिकल कॉजेल में रीहैबिलिटेशन सैन्टर स्थापित करेगी। संसद में दिया गया सरकार का जो आश्वासन है, वह केवल आवश्वासन मात्र बनकर रह गया है। हम लोग जिन मुद्दों को लेकर यहां पर वक्तव्य रखते हैं, एक विश्वास के साथ रखते हैं कि कम से कम सदन में रखे गये

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वक्तव्य में सरकार बिना किसी पूर्वाग्रह के अमल और कार्यवाही करेगी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र से जो टीमें जाती हैं, उनके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम एक गिनी पिग्ज़ बन गया है, प्रयोगशाला बन गया है। उनके लिए वहां के बच्चे प्रयोग करने के नये माध्यम बन गए हैं। कब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक उनके साथ यह प्रयोग होता रहेगा? 33 वर्षों से वहां लोग लगातार मर रहे हैं।

महोदया, पूर्वी उत्तर की पांच करोड़ आबादी के बीच में अकेला बीआरडी मैडिकल कॉलेज एकमात्र सरकारी मैडिकल कॉलेज है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांच करोड़ की इस आबादी के बीच में क्या बीआरडी मैडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए, उसको एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? वह तराई का क्षेत्र है, वहां पर तमाम इस प्रकार की विषाणुजनित बीमारियों से बच्चे ग्रस्त हैं। पूरी दुनिया में आपको कहीं पोलियो नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में पोलियों हैं, घेंघा है, फाइलेरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, काला जार है। वहां पर तमाम तरह की विषाणुजनित बीमारियां हैं, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा सैन्टर नहीं है जहां लोग उपचार करा सकें और अकेले पांच करोड़ की आबादी के बीच में बीआरडी मैडिकल कॉलेज एकमात्र मैडिकल कॉलेज है। अगर एम्स की तर्ज पर एक केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान देश के अन्य भागों में खुल सकते हैं तो पांच करोड़ की आबादी के बीच में गोरखपुर में क्यों नहीं खुल सकता? क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी? क्या यह सरकार के लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा मात्र है। वहां के मासूम बच्चों को क्या भारत सरकार अपने गणराज्य के अधीन नहीं समझती है कि उनको मरते हुए देखना चाहती है? लगातार मौत पर मौत होती जा रही है। हम लोग लगातार वहां के आंदोलन को झेल रहे हैं और सरकार मौन बैठी हुई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार एम्स की तर्ज पर बीआरडी मैडिकल कॉलेज को विकसित करने के लिए कोई घोषणा करेगी।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो महामारी उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में है, अगर माननीय मंत्री जी के ही वक्तव्यों को मैं मानूं तो देश के 171 जिले, उत्तर प्रदेश के 35 जिले और देश के 19 राज्यों में जो बीमारी कहर बरपा रही है, इसे मात्र राज्य का विषय आपने कैसे मान लिया? आप गोरखपुर गए थे और आपने गोरखपुर में कहा था कि यह राज्य का विषय है। मासूम मर रहे हैं और आप कहते हैं कि यह राज्य का विषय है। जो बीमारी देश के 19 राज्यों में हैं, आप उसे राज्य का विषय कैसे मान रहे हैं? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एनसिफलाइटिस उन्मूलन के लिए किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा करेगी?

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर वायरल रिसर्च सैन्टर को उच्चीकृत करके वायरस की पहचान के लिए सही कारक का पता लगाने, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस महामारी से बचाने के लिए क्या किसी कार्य योजना की घोषणा सरकार करेगी?

महोदया, इस बार वहां पर दवा के अभाव में मासूम मरे हैं। वहां कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो एनसिफलाइटिस के लिए मुफ्त में उपचार की व्यवस्था की गई थी। लेकिन पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी वहां बच्चों को कोई दवा नहीं मिली। वहां मासूम और गरीब बच्चे मरते रहे। एक ओर हज़ारों करोड़ रुपये का एनआरएचएम का घोटाला और दूसरी तरफ दवा के अभाव में मासूम मर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो एनआरएचएम की राशि उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुई है, उसका एक हिस्सा क्या एनसिफलाइटिस के उपचार एवं उन्मूलन पर सरकार खर्च करेगी?

सैन्टर ऑफ एक्सेलैन्स फॉर जैपनीज़ एनसिफलाइटिस गोरखपुर में स्थापित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? एनसिफलाइटिस से बचाव और रोकथाम के लिए व्यापक जागरण अभियान स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की की तर्ज पर विज्ञापन, गोष्ठियां, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जो लोगों को बचाव के उपाय सिखा सकें, आखिर यह जीओएम कब तक गठित करेंगे? सरकार को अगर किसी काम को नहीं करना होता है तो सरकार उसके लिए कोई कमेटी गठित कर देती है। उसे जी.ओ.एम. के नाम पर लटकाती रहती है। आज वहां मासूम मर रहे हैं, आप जी.ओ.एम. की बैठक दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करके क्या करेंगे? आखिर सरकार घोषणा क्यों नहीं करती है? यह सच है कि तमाम मंत्रालयों को मिल कर एक साथ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। उस बीमारी को आज तक केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा जा सकता। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन में वहां पर स्वच्छ पेयजल के लिए व अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए जी.ओ.एम. की बैठक अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं ले पायी है? आप तो वहां अक्टूबर में गए थे। अक्टूबर से दिसंबर तक सरकार निर्णय नहीं ले पायी है। क्या यह सरकार की उदासीनता को प्रदर्शित नहीं करता है? इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्सेफ्लाइटिस से बचाव एवं रोकथाम के लिए व्यापक जन-जागरण की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठा रही है?

(7) इन्सेफ्लाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्त्ति एवं कीटनाशकों के छिड़काव के संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

(8) इन्सेफ्लाइटिस से शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हुए मासूम बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्री रमेश बैस (रायपुर): अध्यक्ष महोदया, काफी लम्बे समय से चर्चा के लिए यह प्रस्ताव सदन में रखा गया था। आज बहुत खुशी की बात है कि इस गंभीर मामले पर चर्चा इस सत्र के आखिरी दिन हो रही है। माननीय सदस्य योगी जी ने कई बार इस सदन में इस बीमारी के बारे में मामला उठाया और उन्होंने काफी चिंता जाहिर की, लेकिन सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया, वह बहुत निराशाजनक है। वर्ष 1973 से हमारे देश में यह बीमारी आयी और 4 नवंबर, 2011 को मंत्रिमंडल बैठे। 38 सालों में नवंबर और दिसंबर में चार बैठकें हुईं। लेकिन इन 38 सालों में सरकार को कोई चिंता नहीं हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी के कारण इलाज के अभाव में बच्चे मर रहे हैं। बच्चों की मौत के जवाब में जो कारण बताया गया है वह है पेयजल, स्वच्छता और कुपोषण। हम लगातार नारा दे रहे हैं "हो रहा भारत निर्माण"। हम भारत निर्माण की बात करते हैं, लेकिन आज भी हम पीने के लिए स्वच्छ पानी, और स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। यह बीमारी कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं। पहले तो यह पश्चिम बंगाल में प्रारम्भ हुआ, आज यह पूरे देश में फैल रहा है। अब यह झारखंड से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का इलाका जसपूर और रायगढ़ में भी फैल गया है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पहले हमारे देश में बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से होता था। नाड़ी वैद्य आते थे, वे नाड़ी छूकर बताते थे कि किसको क्या बीमारी है। नाड़ी वैद्य इलाज़ करता था। लेकिन आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपको क्या बीमारी है। अब मरीज अपनी बीमारी बताता है तब डॉक्टर इलाज़ करता है। यह जो फर्क हो रहा है, हमारे इलाज में जो कमी हो रही है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि सारी बीमारी की जड़ मच्छर है। सिर्फ मस्तिष्क का बुखार नहीं, मच्छर से कई बीमारियां फैलती हैं। चाहे वह हाथीपांव की बीमारी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कई बीमारियां सिर्फ मच्छर के कारण हो रही हैं। हम मच्छर के उन्मूलन के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते?

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): 40 सालों से सरकार में ये लोग मच्छर नहीं मार पाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बस हो गया। यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री रमेश बैस की बातों के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री रमेश बैस जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बैस: मैं मंत्री जी से यह निवेदन है कि इसको राज्य का मामला न मानते हुए इसे राष्ट्रीय समस्या मानकर जिस-जिस प्रदेश में यह बीमारी फैल रही है, वहां इसे तुरन्त रोकने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदया: बस हो गया। यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय अध्यक्षा जी, जिस आलोच्य विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शान्त हो जाइये। शान्त होइये।

डॉ. भोला सिंह: माननीय अध्यक्षा जी, जिस आलोच्य विषय दिमागी बुखार पर सदन विमर्श कर रहा है और जिस तरह का बयान देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, वह विडम्बना से भरा हुआ है। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। आप स्वयं साहित्य में अभिरुचि रखती हैं। प्रेमचन्द जी ने कफन नामक उपन्यास में जिस तरह से बुधिया का चित्र खींचा है और जिस तरह से गोबर ने और उसके बेटे और उसके पति ने काम किया है, बुधिया गर्भवती है, दर्द से छटपटा रही है, उसका पति घूरे में आलू पका रहा है, घूरे के बगल में बेटा भी बैठा है, पति भी बैठा है और बुधिया दर्द से चिल्ला रही है, पति देखने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि, अगर वह जायेगा तो उसके आलू उसका बेटा खा जायेगा और बेटा मां को देखने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि वह जायेगा तो इस आलू को उसका बाप खा जायेगा। यह पीड़ा आज भी यह देश भोग रहा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गरीब बिहार में एक नायाब मुख्यमंत्री हुए थे। उनके जमाने में भी यह घटना हुई कि दिमागी बुखार ने पूरे राज्य को ग्रसित कर लिया था। डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी का पता नहीं चल रहा है। किसी ने कहा कि साहब, सूअर के चलते यह बीमारी फैल रही है। उस नायाब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि तमाम सुअर पकड़ लिए जायें और थाने में बन्द कर दिये जायें। 18 डी.एस.पी. उस काम को करने के लिए बहाल हुए और तमाम सूअर थाने में बन्द कर दिये गये और अपराधी थाने से, कस्टडी से निकाल दिये गये। वे मार दिये गये, नतीजा हुआ, सूअर से बीमारी फैलती है तो गरीबों की जीविका मार दी गई। एक तरफ बीमारी में वही मरे, आग लगे तो वही मरे, गोली चले तो वही मरे, भूख लगे तो वही मरे, यह क्या है, मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं?

क्या बोलते हुए नहीं सोचना चाहिए, लोकतंत्र लोक-लाज का तंत्र है। अगर लोकतंत्र में लोक-लाज नहीं है और अगर कोई शानदार कपड़ा भी पहनता है तो वह नंगा है। अध्यक्षा जी, लोकतंत्र में इस लोकलाज को सरकार ने उतार फेंका है और वे कह रहे हैं कि 30-35 वर्षों से यह बीमारी चल रही है और वे कह रहे हैं कि दवा का पता नहीं चल सका है, दवा हम तैयार नहीं कर पाये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह सरकार किसकी सरकार है, क्या करना चाहती है? बिहार में इधर हाल में मुजफ्फरपुर में, गया में, सीतामढ़ी में, बिहारशरीफ में, नवादा में, सासाराम में, फगुहा में, इन सारे जिलों में बड़े पैमाने पर दिमागी बुखार से गरीबों के बच्चे परेशान हैं, मर रहे हैं और उनकी लाशें फेंकी जा रही हैं और केन्द्र का मंत्री कहते हैं, बीमारी का कोई इलाज अभी तक तय नहीं हुआ है, दवा तय नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस देश में श्री माधवराव सिंधिया जैसा मंत्री हुआ होता, अगर इस देश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री हुए होते, तो इस परिस्थिति में उन्हें रिजाइन करना पड़ता, वे रिजाइन कर देते। इस देश में डॉ. लोहिया ने एक बार कहा था कि क्या गरीब कीड़े और मकोड़े हैं कि जब चाहों उनको गोली से मार दो, जब चाहो बीमारी में मरने दो, जब चाहे आग लगे, उसमें वे जलें, झुलसें? मैं यह जानना चाहता हूं। यह लोक सभा जनता की इबादत है, उनकी पीड़ा की इबादत है।

अध्यक्षा जी, विवेकानंद ने कहा कि मेरा भगवान वह है, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में आपने ही बिहारशरीफ नालंदा में जाकर एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वहां मुख्यमंत्री गए थे, आप भी गए थे और उसके माध्यम से लोगों का इलाज चल रहा था। क्या कारण है, जिसका दीप आपने जलाया, जिन हाथों ने दीप जलाए, बीमारी के अंधेरे को दूर करने के लिए, उन हाथों ने इस दीप को क्यों बुझा दिया? आप इस सदन को क्या कहना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिए।

डॉ. भोला सिंह: अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन गठित स्वायत्तशासी निकाय जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन के द्वारा नालंदा में चार स्थानों पर आई विजन सेंटर की स्थापना हुई थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बोल रहे हैं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह: आपके हाथों हुई थी, बिहार के मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे। आपने उसे क्यों बंद कर दिया। क्या यह आपकी अक्षमता थी, आप चला नहीं सकते थे, इसका क्या कारण है? अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने इसके लिए क्या पॉलिसी बनायी है? आपने क्या अच्छा कहा, साहब, यह बीमारी गरीबी के कारण हो रही है, यह बीमारी सुरक्षित पेयजल के अभाव में हो रही है। यह बीमारी कुपोषण से हो रही है। आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार इस मामले में फेल हुई है। आदरणीय आदित्य नाथ जी ने सरकार से जो प्रश्न उठाया है, मैं कहना चाहता हूं कि यह न केवल उत्तर प्रदेश का मामला है, न पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला है, संपूर्ण भारत का जो जीवन है, जो जीवन-पद्धति है, जो सामाजिक स्थिति है, वह परिस्थिति है, इसलिए इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाए और संपूर्ण देश के आधार पर एक नीति तैयार करके इसके लिए व्यवस्था की जाए। अध्यक्षा जी, हो सके तो आप एक बैठक बुलायें, माननीय मंत्री को भी उसमें बुलायें, विरोधी दल के नेताओं को भी बुलायें और बैठकर इस गंभीर स्थिति पर विचार-विमर्श करके, उसकी रोशनी में तत्काल कदम उठाए जाएं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से अपनी बात को सदन में रखना चाहता हूं।

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

देश में बच्चे, नवजात बच्चे, महिलाएं, आम नागरिक दिमागी बुखार रोग से पीड़ित हो रहे हैं। नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही है। महिलाएं गंभीर रोग से पीड़ित हो रही हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा लोग दिमागी बुखार रोग से पीड़ित हैं और इस वायरस के शिकार हैं।

महोदया, अगर दिमागी बुखार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह बीमारी जिस तरह से फैल रही है, यह पूरे देश में फैल जाएगी, जो चिंता का विषय है। इस दिमागी बुखार के वायरस से संक्रमित होने पर इस बीमारी के लक्षण पांच से दस दिन में दिखायी देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इस दिमागी बुखार को नियंत्रित किया जाना, जनहित और देशहित में अति आवश्यक है। समुचित उपचार तक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ देश में बढ़ रहे दिमागी बुखार जैसी भयानक बीमारी का खतरा चल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था का अभाव है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों एवं दवाओं की कमी है। सरकारी डॉक्टर्स जो सरकारी सेवा में हैं वे निजी क्लीनिक चला रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज और जांच के नाम पर मनमाना रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। इस का सबसे ज्यादा असर गरीब आम जनता पर ही होता है क्योंकि गरीब आदमी का सहारा केवल सरकारी अस्पताल ही होता है। जिसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे अपना और अपने परिवार का इलाज निजी अस्पतालों में करा सकें।

माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस भयानक बुखार को रोकने हेतु समुचित आवश्यक कदम उठाए जाएं और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर की जाए। सरकारी अस्पतालों में इनकी बहाली की जाए। ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में दवाओं की पूरी आपूर्ति की जाए। अस्पताल के अंदर और बाहर सफाई की जाए। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं खासकर इस बात के लिए आभारी हूं कि आज अंतिम दिन इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को इस सदन और सरकार के संज्ञान में लाने का अवसर प्रदान किया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 64 साल बीत जाने के बाद भी आज भी गरीब लोगों को स्वास्थ की सुविधा यह सरकार मुहैया नहीं करा पाई है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी मंत्री यहां नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी उधर अधिकारियों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए। मंत्री जी वहां पर है। कृपया आप सभी शांत हो जाइए।

[अनुवाद]

निराधार मुद्दा मत बनाइए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: जहां तक आंकड़ें बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन वर्ष 2005 में बनी जिसमें आपने नब्बे हजार पांच सौ पचपन करोड़ रुपये का प्रावधान किया लेकिन गांवों में आज तक कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ पाया। अध्यक्ष जी मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सिद्ध, यूनानी चिकित्सा पद्धति जो हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली रही हैं उन पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके जो भी सरकारी अस्पताल हैं वे बंद होने के कगार पर हैं। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। इंडियन मेडिकल सोसायटी की सर्वे के अनुसार पचहत्तर परसेंट डॉक्टर शहरों में काम करते हैं, तेईस परसेंट अल्प शहरी इलाकों में काम करते हैं और केवल दो परसेंट ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं। यह स्थिति हैं। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में झोला झाप डॉक्टरों की भरमार है उनकी वजह से भी काफी मौतें हो रही हैं। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे देश में आपने तीन सौ मेडिकल कॉलेज खोले हैं जिनमें से आपने 105 मेडिकल कॉलेज पांच राज्यों में खोल दिया है–कर्नाटक, महाराष्ट, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश। बिहार में जहां आठ से दस करोड़ की आबादी है वहां पर केवल नौ मेडिकल कॉलेज खोले हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की बात कही। स्वर्गीय मोती लाल नेहरू जी के नाम से वह मेडिकल कॉलेज है। उनकी 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने भी आप को इस बारे में इंगित किया होगा, कहा होगा कि उच्चीकृत किया जाए। वहां पर हार्ट, लिवर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उस पर विशेष ध्यान दें। माननीय मंत्री आर.पी.एन. सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस के बारे में मुझे याद दिलाया।

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय 34 हजार की आबादी पर केवल एक डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं। यह कैसी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है? योजना की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश में आठ लाख डॉक्टर्स और 20 लाख नर्सेज़ की आवश्यकता है। लेकिन हम अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि आपके आंकड़ें भी बताते हैं कि 60 प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र का दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर होता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को पानी पर खर्च होने वाले बजट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें से काफी पैसा बेकार चला जाता है। वह पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र में जाए तो बहुत कारगर सिद्ध होगा।

देश में स्वास्थ्य का 80 प्रतिशत निजी क्षेत्र के हाथ में हैं और केवल 20 प्रतिशत सरकारी निगरानी में है। उस 20 प्रतिशत में भी 80 प्रतिशत राज्य सरकारों के अधीन है। यह भी अक्सर सुना जाता है कि राज्य केन्द्र पर जिम्मेदारी थोप देते हैं, जैसे बीएसपी के माननीय सदस्य कह रहे थे कि केन्द्र इस मामले में कुछ मदद नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ केन्द्र कहता है कि राज्य कुछ नहीं करते। इस तरह इन दोनों के बीच में गरीब आदमी, मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित लोग मर रहे हैं। बच्चों के मरने की जो संख्या आपने बताई, मैं कहना चाहता हूं कि वह आंकड़ा फर्जी है। हजारों की संख्या में बच्चे इस बीमारी से मरे हैं।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस बात का संज्ञान लिया। आर.पी.एन. सिंह जी के साथ गोरखपुर का दौरा किया। लेकिन योगी आदित्य नाथ जी ने कई बार इस मसले को यहां उठाया है मैं उनका समर्थन करता हूं और उनकी मांग के साथ अपने को संबद्ध करता हूं। उन्होंने जो मांग की है वह अवश्य पूरी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी ऐसी गम्भीर बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। विगत दस वर्षों का रिकार्ड देखा जाए तो 22 तरह की नए बुखारों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक हमारी मेडिकल एजेंसी या वैज्ञानिक यह पता नहीं कर पाए कि यह कैसा बुखार है। अभी भोला सिंह जी ने कहा था कि पक्षियों से, सुअरों से और गंदगी से तथा दूषित पानी से ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। हम अभी तक इसके निदान के लिए कोई वैक्सीन ईजाद नहीं कर पाए है। इस सम्बन्ध में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई प्रयास नहीं किया और न ही किसी देस से इस बारे में चर्चा की कि इस प्रकार की बीमारियों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपस में विचार-विमर्श मत करें। इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, उसे सुनिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अक्तूबर 2011 की दिल्ली की रिपोर्ट हैं, सरकारी आंकड़ें हैं कि 20000 से लेकर 25000 मरीज तक भर्ती रहे। इसके अलावा चार लाख मरीज मस्तिष्क ज्वार के रहे हैं। जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मौसमी बुखार है। अकेले दिल्ली में 5000 मामले डेंगू के आए हैं। यह उस वक्त का रिकार्ड मैं बता रहा हूं। चिकनगुनिया के तो बहुत कम मामले इसमें दर्शाए हैं। ये बीमारियां, जगह-जगह पानी एकत्र होने से, मौसम की नमी और खास तौर से साफ सफाई के अभाव में पैदा होती है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आज सत्र का अंतिम दिन है इसलिए बोल लेने दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त ही करने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदया: इतना लम्बा थोड़ा ही बोलते हैं। इसमें सिर्फ सवाल पूछते हैं स्पष्टीकरण के लिए। लेकिन आपने तो बहुत लम्बी भूमिका बांध दी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, जल्दी से सवाल पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: जहां तक बुखार में जो पैरासिटामोल की दवा आप दे रहे हैं, पहले बुखार के निदान के लिए दवाओं में पैरासिटामोल दी जाती थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शोर न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: पता नहीं कैसे उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई कि पैरासिटामोल किसी भी बुखार में कारगर नहीं हुई और उसका कोई असर नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2 नवम्बर को इसे संज्ञान में लिया और सरकार को निर्देशित किया। लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। मेरे क्षेत्र में एक शैल कुमारी 14 साल की लड़की हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकी थी, उसकी मौत डेंगू से हुई। जब हम लोग वहां गए तो उसकी मौत पर पूरा कस्बा बंद था। इलाहाबाद में 29.9.2011 की जो सरकारी रिपोर्ट हैं, उसके अनुसार एंसेफेलाइटिस से पीड़ित 25 मौत बताई गई, जबकि वहां पर हजारों की संख्या मे मौतें हुई हैं। आज तक उस इलाके में बच्चों की हजारों की संख्या में मौत हुई है। वहां पूरे इलाके में गंदगी का व्यापक अम्बार है, फॉगिंग मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छरों से बचाव के लिए कोई कारगर कदम सरकार ने नहीं उठाया है और न ही उनसे निजात दिला पाई है।

मुझे याद आता है कि जब राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख जन स्वास्थ्य रक्षकों की कमी है। मैं चाहूंगा कि जो जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्त पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जी ने नियुक्ति की थी, उन्हें बहाल करें, तब ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर पाएगी। यहां पर 55 प्रतिशत बच्चों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है और उनके टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण करीब 9 लाख नवजात शिशु जन्म लेते ही मर जाते हैं। देश में बैक्टेरिया जनित और संक्रामक रोग 40 गुना बढ़ गये हैं लेकिन उनके निदान की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो रिकार्ड दिये गये हैं मैं उन्हें पढ़कर नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि माननीय अध्यक्षा जी जल्दी प्रश्न पूछने का आग्रह कर रही हैं। मुझे डॉ. राम मनोहर लोहिया जी का एक नारा याद आता है और अगर उसे किसी ने उत्तर प्रदेश में चरितार्थ किया है तो माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। उन्होंने नारा दिया था कि "रोटी-कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त ही हो।" दवा के मामले में जो भी गरीब आदमी चाहे 10 लाख तक का इलाज रहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी उचित व्यवस्था की थी। आज जरूरत इस बात की है कि डॉ. राममनोहर लोहिया जी ने जो नारा दिया था, उसे केन्द्र सरकार लागू करें, तभी गरीब उसका लाभ उठा सकते हैं। आपने जो आंकड़े दिये हैं कि उत्तर प्रदेश में 3474 मामलों में 575 लोगों की मृत्यु हुई, माननीय मंत्री जी ये फर्जी आंकड़े हैं। असम में आपने 1391 मामले बताए जिनमें 250 लोगों की मृत्यु हुई। बंगाल में 414 मामलों में 40 मौतें, बिहार में 821 मामलों में 197 लोगों की मौत हुई। ये सब फर्जी आंकड़े हैं। आप अपने नुमाइंदे भेजकर जांच करवा लीजिए। इंजेक्शन आप तब मुहैया करवाते हैं जब मरीज मर जाता है, बीमारी फैल जाती है। हमें पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी, भोला सिंह जी और बैस जी और हमने जो मामले उठाए हैं, उन्हें आप गंभीरता से लें। मैं जानता हूं कि मैं स्वास्थ्य सलाहकार समिति में भी हूं और आप इस बारे में बहुत चिंतित हैं, आप व्यवस्था कर रहे हैं। आपने इन सभी रोगों को कैटेगराइज किया है लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बारे में प्रचार-प्रसार की जरूरत है। इसलिए जो दिमागी बुखार से बच्चे मरे हैं, बूढ़े लोग मरे हैं उनके मुआवजे की व्यवस्था कीजिए और चाहे आपको विदेश से भी दवाइयां मंगानी पड़ें लेकिन आप रोग फैलने से पहले उसका इलाज करवाइये। लेकिन होता यह है कि जब रोग फैलता है तब सरकार उसका संज्ञान लेती है, तब तक हजारों की संख्या में मौतें हो जाती हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों शोर मचाने लगे हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया इस तरह शोर मत मचाइए। आप शोर क्यों मचा रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग खड़े क्यों हो गये, ऐसे कैसे होगा, नाम भेजने से थोड़े ही होगा। ध्यानाकर्षण चल रहा है, पहले से नोटिस देना होता है, बैलेट में आता है, ऐसे कैसे हो जाएगा?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: मेरा कहना है कि आप यूं ही खड़ा होकर बोलना शुरू नहीं कर सकते। आपको पहले नोटिस देना है और तब जाकर आपको बोलने की अनुमति दूंगी।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। ऐसा है कि ध्यानाकर्षण में अधिक से अधिक पांच सदस्य बोलते हैं। क्योंकि यह बहुत संवेदनशील विषय है और आप जैसा कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

इसलिए बहुत ही विशेष परिस्थिति में मैं आपको बोलने की अनुमति दे रही हूं और आपके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैडम, इस पर हम भी बोलेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपका कोई नोटिस नहीं है। आप दोनों का कोई नोटिस नहीं है। आप बैठिये और उन्हें बोलने दीजिए। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप शोर क्यों मचा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गये?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप क्यों खड़े हैं? आप लोग क्यों खड़े हो गये। कृपया बैठ जाइये। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। कृपया बैठिये। आप क्यों खड़े हैं। कृपया बैठिये। ठीक है, आप खड़े होकर अपनी बात नहीं कह सकते, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल: हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: हां, आप बोलिये। चूंकि इनका नोटिस आया है, इसलिए हम इन्हें विशेष परिस्थिति में बुलवा रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप ऐसे खड़े होकर डिमांड नहीं कर सकते, आप बैठ जाइये और माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं जो आपने विशेष परिस्थितियों में मुझे बोलने का मौका दिया और जैसा आपने कहा कि इस संबंध में मैंने सात दिसम्बर से नोटिस भी दे रखा था, लेकिन आलरेडी पांच व्यक्तियों के होते हुए आपने मुझे बोलने का अनुमति दी, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूं कि यह विषय जितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है और उस पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी या अन्य माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, मैं अपने आपको केवल उनकी भावनाओं से सम्बद्ध करना चाहता हूं। जैसा यहां उल्लेख हुआ है कि इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव गोरखपुर और बस्ती मंडल में है, जहां से हम लोग चुनकर आते हैं। *...(व्यवधान)* परंतु अब यह उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में फैल गई है। खुद माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि देश के 19 राज्यों 171 जिलों में इसका प्रकोप बढ़ गया है। यह बात मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार की है। अब इस बीमारी की गंभीरता और प्रभाव के संबंध में मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है और न यह विषय कोई राजनीतिक है, जिस पर कोई आरोप-प्रत्यारोप किये जाएं। यह ऐसा विषय है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि चाहे जापानी इंसिफलाइटिस हो, एईएस हो या बीई हो, इस बीमारी से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, अपने भाषण के पहले पैराग्राफ मे माननीय मंत्री जी ने कहा कि 25 प्रतिशत बच्चे मर जाते हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 40 प्रतिशत बच्चे यदि बचते हैं तो वे विक्लांग हो जाते हैं, मैन्टली रिटार्डेड हो जाते हैं। इसके अलावा शायद जिस परिवार के लिए अपनी जिंदगी गरीबी के कारण एक बोझ बनी हुई है और ऊपर से उसका बच्चा जापानी इंसिफलाइटिस एईएस के प्रकोप से प्रभावित होकर विक्लांग हो जाए या मैन्टली रिटार्डेड हो जाए तो उसके बाद

पूरी जिंदगी के लिए वह बच्चा उस परिवार के लिए उसकी गरीबी के साथ-साथ एक अभिशाप बन जाता है। इसलिए आज इस सदन को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि यदि सौ बच्चे इस बीमारी से बीमार होते हैं तो उनमें से 25 बच्चे या तो मर जाते हैं और 40 बच्चे जीवन भर के विक्लांग हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए कौन सा उपाय हम करें। यह सवाल केन्द्र सरकार का नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैल्थ राज्य का विषय है।

अभी एक बात उठी कि यदि एनआरएचएम का पैसा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया: आप समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं आपके सामने अपनी बात कहना चाहता हूं तो वह पैसा राज्य को जायेगा और पैसा खर्च करना राज्य का काम है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब यह बात उठी तो निश्चित तौर से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि श्री आर.पी.एन. सिंह साहब गये और खुद मैं भी गोरखपुर और बस्ती गया और वहां जो मीटिंग हुई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एक प्रश्न पूछिये और समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जी-1 बनाया और 4 नवम्बर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कांस्टीट्यूट हुआ, 21 नवम्बर को उसकी पहली बैठक हुई, 25 नवम्बर को बैठक हुई, 9 दिसम्बर को बैठक हुई तो इन तीनों बैठकों का क्या निष्कर्ष निकला? यह एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, उसको देखते हुए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे पोलियो के उन्मूलन के संबंध में या मलेरिया के उन्मूलन संबंध में है, क्या उस प्रकार का कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया गया है? यह वॉटर बॉर्न डिजीज़ है या स्वच्छ पेय जल की कमी है या पिग से वॉयरस जाता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने गोरखपुर के सर्किट हाउस में बात हुई, जिसको उन्होंने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि जापानी इन्सेफेलाइटिस जो 36 प्रतिशत था वह घट कर का 6.4 प्रतिशत हो गया। लेकिन एक महीने पहले इन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है इस बीमारी का ट्रेंड राइज हो रहा है। दूसरी बीमारी जो खत्म हो रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। कितने प्रश्न पूछेंगे? एक प्रश्न पूछना होता है।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: एईएस यानि एक्युट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसका पूरे विश्व में अभी तक कोई इलाज नहीं है, क्या भारत सरकार उसके इलाज के कोई रिसर्च कराएगी? खुद माननीय मंत्री जी कहें कि एईएस के संबंध में कोई वैक्सीन है? चाहे उसके प्रिवेंशन के लिए हो या चाहे उसके उपचार के लिए दवाओं के रूप में हो तो उस पर भी कोई रिसर्च होगा? उस रिसर्च के लिए कौन सा निर्णय लिया गया है? भारत सरकार के मंत्रालय के कोआर्डनेटिड अफर्ट उस संबंध में क्या हुए हैं? जैसा माननीय आदित्य नाथ जी ने मुद्दा उठाया कि एनआरएचम का इतना सारा पैसा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतनी लम्बी बात मत कीजिए, केवल प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आपके तीन सदस्य बोल चुके हैं? अब आप शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह सब कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपकी बात हो गई है, अब समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ये क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्षा जी, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वे मेरी ससुराल के हैं। अगर वे मेरी बीमारी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं धन्यवाद देता हूं कि वे मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सब लोग क्यों खड़े हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं एक अंतिम मांग करता हूं कि एनआरएचएम की निर्धारित राशि इस जेई, एईएस के उन्मूलन के लिए उसमें निर्धारित की जाए। इस संबंध में वैक्सिन की उपलब्धता कराने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर सिद्धार्थ नगर में वैक्सिन की एक फैक्ट्री लगाने की बात होगी? इम्यूनाइजेशन का काम बिल्कुल फेल रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। उस इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सिन की उपलब्धता पूर्वी उत्तर प्रदेश मे भी हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कितना लंबा बोलेंगे? आपको केवल एक प्रश्न पूछना था। मैंने विशेष अनुमति दी तो आप इतना लंबा बोल जाएंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए, बैठ जाइए खड़े क्यों हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने नोटिस क्यों नहीं दिया है? इन्होंने नोटिस दिया है। जिन्होंने नोटिस दिया हैं, उन सब को हमने बोलने का मौका दिया है। आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? इस तरह से मत कीजिए। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए। अगर बैठ जाएंगे तो हम सोचेंगे भी कि आपको बुलवाना है या नहीं बुलवाना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: यदि आप खड़े इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो मैं आपको कोई अवसर नहीं दूंगी। पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगी। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: पहले आप बैठ जाइए और तत्पश्चात् मैं आपको अवसर देने पर विचार करूंगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपको समझ नहीं आ रहा है? आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठिये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री महोदय जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय, आप इन मुद्दों के बारे में बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गये? आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, मैं उन तमाम साथियों का अपनी तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बहुत ही जरूरी विषय पर, जिससे आज देश के बहुत क्षेत्रों में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बीमारी की वजह, दिमागी ज्वर की वजह से हमारे हजारों बच्चों की जान जाती है। मैं राजनीति से ऊपर उठकर इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: योगी जी ने तो बहुत अच्छी शुरुआत की थी।

श्री दारा सिंह चौहान: अंग्रेजी में जवाब दीजिये।

श्री गुलाम नबी आजाद: अंग्रेजी, हिन्दी के बारे में कुछ नहीं, हमारी सब भाषाएं हैं, हमें इस चक्कर में नहीं जाना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अंग्रेजी अपनी भाषा नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: सुबह से शाम तक तो अंग्रेजी में लिखते हो, लेकिन आंकड़ों का और सालों का जिक्र करने में वे भूल गये कि किस साल में किसकी सरकार थी, उसमें जरा वे चूक कर गये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय द्वारा कही जा रही बातों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं इस सत्र के आखिरी दिन कोई खटास पैदा नहीं करना चाहता हूं, पहले ही बहुत खटास पैदा हुई है। सिर्फ फर्क इतना है कि 'हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।' *...(व्यवधान)* मेरी पार्टी और मेरे एलाईज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है-जो करते हैं उन्हें जताना नहीं आता, जो जताते हैं वे करते कुछ नहीं। *...(व्यवधान)* हमारी यह समस्या रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी की बातों के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: हमने बड़े आराम से, बड़ी शांति से आपकी बात सुनी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुलाम नबी आजाद: पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब सुनाने की हिम्मत होती है तो सुनने की भी उतनी हिम्मत होती है और जो सुनाये और न सुने तो उसे सुनाना नहीं चाहिए। अगर वह सुनाये तो उसे सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी की बातों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: सबसे पहले हमारे कुछ साथियों ने कहा कि सरकार ने, भोला सिंह जी ने फरमाया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, यह मैं केवल उत्तर दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो आपने बताया, मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर वह उत्तर दिल के आर-पार चला जाये तो मेरा कुसूर नहीं, क्योंकि जैसा सवाल था, जवाब भी वैसा ही जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि मुझसे पहले जो सरकारें थीं या हमसे पहले जो सरकारें थीं ...*(व्यवधान)* हर साल दो विजिट ऑफिस ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सुन लीजिये। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: इसीलिए मैंने पहले कहा कि या तो सुनाना नहीं चाहिए या फिर सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इधर उन्मुख होकर बोलिये।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, पिछले दो सालों से, जब से यूपीए-2 आई है और हम हैल्थ मिनिस्टर बने हैं, केन्द्रीय सरकार की तरफ से 35 विज़िट जैपनीज एनिसिफ़ालाइटिस अफैक्टेड एरियाज में किये गये हैं। इसमें दो, मिनिस्टर लैवल की विज़िट गोरखपुर में ही हुई हैं। इससे पहले कभी किसी मिनिस्टर की विज़िट नहीं हुई थी। ...*(व्यवधान)* आपको क्यों परेशानी है, आप उधर थोड़ी हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इधर देखकर बोलिये।

श्री गुलाम नबी आजाद: इसीलिए सैक्रेटरी लैवल पर, डायरैक्टर जनरल आईसीएमआर लैवल पर तीन से ज्यादा विज़िट हुई, डायरैक्टर जनरल हैल्थ सर्विसेज़ लैवल पर पांच से छः विज़िट गोरखपुर में हुई हैं। नेशनल वैक्टर बॉर्न डिजीजेज़ के जो डायरैक्टर हैं, जो पूरे देश की बीमारियों को देखते हैं, उनकी तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा विज़िट हुई हैं। जो डिप्टी डायरैक्टर हैं, उनकी एक दर्जन से ज्यादा विज़िट गोरखपुर में और दूसरी जगह हुई हैं। कुल मिलाकर खाली उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में दो सालों में 23 विज़ट मिनिस्टर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स लैवल पर हुई हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इधर देखकर बोलते रहिये। हर समय रियैक्ट मत करते रहें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: जब हम खत्म करेंगे, यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे, तब आप हमसे पूछिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब शांत रहिये।

श्री गुलाम नबी आजाद: अब हमने कहा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में वैक्सीन 2006 में आई। उस समय यूपीए गवर्नमैंट का तीसरा साल था। ...*(व्यवधान)* वैक्सीन 2004 से बनी। उस समय एनडीए नहीं थी। आपने कहा कि एनडीए ने शुरू किया। मैंने कहा कि मैं आपको सही साल बता देता हूं। ...*(व्यवधान)* आपने बताया एनडीए ने 2006 में शुरू किया। मैं कह रहा हूं कि उस वक्त एनडीए नहीं थी यूपीए था। ...*(व्यवधान)* मैं खाली करैक्शन कर रहा हूं। आप नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि आपने बताया एनडीए ने किया। मैं तो करैक्शन कर रहा हूं कि उस वक्त यूपीए थी। आपकी जनरल नॉलेज की करैक्शन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* 11 जिलों में उस वक्त किया, यूपी के 28 जिलों में 2007 में किया, 22 जिलों में 2008 में किया, 30 जिलों में 2009 में किया और 20 जिलों में 2010 में किया। इस तरह से 2006 से लेकर 2010 तक उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में जैपनीज़ एनसिफलाइटिस के वैक्सीनेशन हुए। सात जिलों में जहां सबसे ज्यादा यह बीमारी है, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर, उनमें 2010 में दोबारा से वैक्सीन किये गये। अभी आप कहेंगे कि दोबारा से वैक्सीन क्यों किये गये, क्योंकि 2006 में इन्हीं जिलों में जब वैक्सीन किये गये थे तो वैक्सीन गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिये जाते हैं, वैक्सीन लगाने के पैसे भी गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिये जाते हैं। मैं यहां यूपी की सरकार की बात नहीं करूंगा, पूरे देश में किसी पार्टी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, मुझे

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आज अफसोस है, खेद से कहना पड़ता है कि जो आंकड़े हमें दिये जाते हैं, वे आंकड़ें जमीन पर नहीं होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। इसलिए किसी पार्टी और पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए कि उनके खिलाफ है, चाहे वह किसी किस्म की वैक्सीन हो यह नहीं कि जैपनीज़ एनसिफलाइटिस की हो। लेकिन उस वक्त 90 से ज्यादा परसेंटेज दिखाई गई कि वैक्सीन की गई। लेकिन जब दोबारा यूएनएसएफ की एजेन्सी ने सर्वे किया तो मालूम हुआ कि दुर्भाग्य से सिर्फ 50 परसेंट लोगों को ही वैक्सीन हुआ था न कि 90 प्रतिशत लोगों को, जैसा कि राज्य सरकार की तरफ से बताया गया था। इसलिए 2010 में हमने दोबारा वैक्सीन किया। मैं कह सकता हूं कि वह 80 प्रतिशत से ज्यादा हुआ और यही उसका परिणाम हुआ जो मैंने अपने उत्तर और स्टेटमैंट में कहा था कि उसकी वजह से कम हुआ है। ...*(व्यवधान)* यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि जो जैपनीज़ एन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम हैं, इसमें सैंकड़ों किस्म के वायरस हैं और दुनिया में सिर्फ एक ही वायरस जैपनीज इन्सेफ्लाइटिस है, जिसका इलाज है, जिसके लिए दवाई का इलाज है, बाकी तो सिम्पटैमैटिकली है, बुखार हआ, कुछ दूसरा हो गया तो उसको सैम्पटैमैटिकल कहते हैं। लेकिन जैपनीज इन्सेफ्लाइटिस के लिए हम वैक्सीन देते हैं और चाहे हमारे देश में नहीं भी बनता है, तो भी हम विदेश से, जापान से लाकर देते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। भोला सिंह जी, आज आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। वर्ल्ड हेल्थ असैम्बली हर साल होती है और उसमें 193 देश हैं। 100 देशों के स्वास्थ्य मंत्री उसके मैम्बर हैं। आज दुनिया में कोई भी बीमारी या वायरस निकलता है तो वर्ल्ड हेल्थ ओर्गेनाइजेशन तुरंत 193 देशों को इत्तला देती है कि यह नई बीमारी है और उसका यह इलाज है या यह वैक्सीन या टेबलेट है या यह मैनेजमेंट है। इसलिए जब इस्तीफे की बात करते हैं तो दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों, राष्ट्रपतियों और साइंटिस्टों को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जैपनीज़ इन्सेफ्लाइटिस के अलावा कोई टेबलेट नहीं निकाली है और जब निकलेगी तो जरूर होगी।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जैपनीज़ इन्सेफ्लाइटिस का वैक्सीन हम पहले जापान से लाते थे और अभी पहली दफा बायलॉजिकल इवैंस जो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इसको अभी लाइसेंस दिया गया है। इसने जितनी फोर्मेलेटिज़ थीं, वे तमाम मुकम्मल कीं और इस मई से यह वैक्सीन मार्किट में आ जाएगा। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह से भारत बायोटेक बनाएगा, जिसका अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इससे पहले के ट्रायल खत्म हो गए हैं और मुझे यह कहना है, विशेषकर भोला सिंह जी से कि स्वास्थ्य मंत्रालय का नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट, पूना में है, यह बड़ा इंस्टीट्यूट है, वह बनाएगा और तैयार करेगा। इस साल के आखिर तक यही भी मार्किट में आ जाएगा। यह उपलब्धि हमारी दो साल की है। ...*(व्यवधान)* योगी आदित्यनाथ जी ने फरमाया था कि वैक्सीन एक ही देते हैं, जबकि तीन देनी चाहिए। वैक्सीन तीन किस्म की हैं। वैक्सीन किससे बनती है, कौन बनाता है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो बड़ा महाभारत शुरू हो जाएगा कि कौन किससे वैक्सीन लेगा और कौन किसको लगाएगा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि यह कई अलग-अलग चीजों से बनते हैं। लेकिन एक वैक्सीन जो पहले था, जिसके बारे में आपने कहा कि तीन दफा लगाते हैं। कोई वैक्सीन ऐसी होती है, जिसकी पोटैंसी कम होती है तो उसे तीन में लगाना चाहते हैं। लेकिन हम जो वैक्सीन देते हैं, उसकी पोटैंसी ज्यादा है, यह ज्यादा शक्तिशाली है। तमाम साइंटिस्टों ने कहा है कि इसके लिए एक ही वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन स्वयं अपने लिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): क्या यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित है। कोई भी वैक्सीन डब्ल्यू एच ओ के अनुमोदन के बगैर नहीं होती हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डा. रामचन्द्र डोम, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: न सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के लिए बल्कि मेरी सैटिसफैक्शन के लिए जब मैं गोरखपुर गया था तो वहां से आने के तुरंत बाद मैंने आईसीएमआर और हेल्थ रिसर्च के लोगों को यह काम दिया कि इस पर पूरे देश के साइंटिस्टों की मीटिंग बुलाएं कि क्या दूसरे डोज़ की जरूरत है या नहीं। उनकी एकाध मीटिंग अभी हुई है। फाइनल रिपोर्ट में यदि दूसरे डोज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे। लेकिन वह हेल्थ मिनिस्टर तय नहीं करेगा, जो योग्य लोग हैं, वे तय करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुलाम नबी आज़ादः मैं भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* आप इलाज भी चाहते हैं और दवाई भी नहीं खाना चाहते हैं। महोदया, वर्ष 2006 से 2010 के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में किए गए उपाय और पहल इस प्रकार हैं। वर्ष 2010 में उप जिलों में विशेष जापानी एंसेफेलाटिस टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और 7 जिलों में पुनरावृत्ति की गई। जापानी एंसेफेलाटिस के संबंध में बेहतर समन्वय और प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2007 में लखनऊ में उप-कार्यालय और गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय – खोले गए। आपने फरमाया कि एन डी ए ने खोला, लेकिन वर्ष 2007 में यू. पी. ए. सरकार थी, उसने खोला था। महामारी विज्ञान और कीट विज्ञान संबंधी अध्ययन वृथा सूक्ष्म समन्वय हेतु एक वेक्टर-जनित रोग निगरानी एक भी वर्ष 2007 में डी आर डी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में खोला गया था। वर्ष 2008 में, नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे का एक यूनिट स्पैशली गोरखपुर में खोला गया और उस पर 16 करोड़ रुपए हमारे मंत्रालय ने मेडिकल कॉलेज को दिए।

[हिन्दी]

इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास पहले सिर्फ जेई के बारे में जानकारी थी और उस जेई के एक सौ से ज्यादा वायरसिज़ हैं तो वह फील्ड आफिस जो हमने गोरखपुर में खोला था, वह कामयाब हो गया गोरखपुर में एक और वायरस निकालने में, इन सैंकड़ों वायरसों में से और वह है एंट्रो वायरस। उस एंट्रो वायरस की दुनिया में कोई दवाई नहीं है, कोई भी इंजैक्शन नहीं है। यह वॉटर बोर्न डिसीज़ है। यह वॉटर बोर्न कैसे है कि यह इंसान के पेट में होता है और जब मल के साथ इंसान के निकलता है और जहां लैट्रिन नहीं है, आस-पास के खेतों में लोग जाते हैं, यदि वहां साफ-सफाई न हो और यदि पानी वहां दो-तीन महीने जमा रहे तो यह वायरस मल के साथ दस-पन्द्रह फीट तक नीचे चला जाता है। गोरखपुर में या देश के अन्य हिस्सों में जहां-जहां भी यह एंट्रो वायरस होगा, वहां हेण्डपम्प हैं, शेलो हेण्डपम्प हैं, गोरखपुर में आप देखिए कि लाखों की तादाद में घरों में दस-पन्द्रह फीट पर दो-दो हेण्डपम्प हैं, इससे जब ये पानी निकालते हैं, तो वह आदमी के पेट में चला जाता है, जिसके बाद वह ब्लड वैज़ल्स से ब्रेन में चला जाता है। इसीलिए उसका इलाज यही है कि हम दस फीट वाला हेण्डपम्प बंद कर दें और डीप बोरवैल 70-80 फीट खोदें तो यह बीमारी नहीं आएगी। इसलिए यह सैनीटेशन से जुड़ी हुई है, साफ-सुथरे पानी से जुड़ी हुई बीमारी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वर्ष 2009 में, पहले दिए गए 16 करोड़ रूपये के अलावा राज्य सरकार को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जे ई एपिडेमिक वार्ड के उन्नयन हेतु 5,88,00,000 रुपये की धनराशि जारी की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 11 जापानी एंसेफेलाइटिस स्वच्छता स्थलों पर जे ई डायग्नोसिस किट्स की नियमित आपूर्ति हेतु प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए 2.77 करोड़ रुपये की अन्य धनराशि जारी की गई थी। वर्ष 2010 में 54.51 लाख रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से बी आर डी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई। वर्ष 2011-12 में, कुशीनगर जिला में जापानी एंसेफेलाइटिस के नियंत्रण हेतु मॉडल एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए 47.48 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2011 में, गोरखपुर के बी आर डी मेडिकल कॉलेज में 100 बिस्तरों वाले नए जे ई वार्ड हेतु 18.88 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2011 में तत्पश्चात् मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जे ई मामलों हेतु नवजात शिशु यूनिट के वेन्टिलेटर सपोर्ट हेतु 99 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। तत्पश्चात् 2012 में बी आर डी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में जे ई वार्ड हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता के लिए 240 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

महोदय, बहुआयामी रणनीति, जे ई टीकाकरण और अन्य उपायों की वजह से उत्तर प्रदेश में जे ई और ए ई एस के मामलों में वर्ष 2005 के 6061 मामले और 1500 मौंतों से घटकर वर्ष 2011 में 3378 मामले और 543 मौतों का आंकड़ा रह गया है। ए ई एस का अधिकांश भाग एंटेको-वायरस की वजह से होता है जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। इसलिए मैं इसे दोहराना नहीं चाहूंगा।

अब वहां क्या हुआ है? यह मैंने वहां जाकर महसूस किया।

[हिन्दी]

जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि यह बीमारी सिर्फ़ वैक्सीन से ही ठीक नहीं होगी, इसमें वाटर बोर्न डिजीजेज को कंट्रोल करना है। उसमें हमें वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। इसमें सैनिटेशन है, दूसरी मिनिस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 30 बच्चे तो मर जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं उनमें 30 से 40 प्रतिशत शारीरिक रूप से क्रीपल्ड हो जाते हैं। इसलिए रिहैबिलिटेशन की जरूरत है।

मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि उधर से आने के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की कि यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय और

राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। इसमें एक मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटजी होनी चाहिए। सभी मंत्रालयों को उसमे जोड़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर के महीने में मेरी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनायी। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलप्मेंट मिनिस्ट्री, वूमेन एण्ड चाइल्ड मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एण्ड एमपावरमेंट मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर एण्ड सैनिटेशन मिनिस्ट्री है। मुझे खुशी है कि इस एक-सवा महीने में हमारी तीन मीटिंगें हुई हैं और फाइनल ड्राफ्ट कैबिनेट के लिए तैयार है ताकि हम केन्द्रीय सरकार की तरफ से और राज्य सरकार मिलकर एक मल्टी प्रॉन्गड स्ट्रैटजी बनाकर, इसको न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए जो बाकी राज्यों में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनके लिए एक पॉलिसी बनाएं और अगले प्लान से, बारहवीं योजना से उसको लागू करें।

जहां तक हमारे सभी सदस्य चाहे योगी जी, पाल जी, और सभी साथियों ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने कहा है कि इसको एम्स लेवल का इंस्टीच्यूट बनाया जाए। अभी पांच दिनों पहले मैंने झांसी में एलान किया है कि अगले प्लान में, जो अगले साल में शुरू होगा, प्लानिंग कमीशन से पिछले दो सालों से हम सम्पर्क में थे, और मुझे खुशी है कि प्लानिंग ने उत्तर प्रदेश के लिए इन प्रिंसिपल एप्रूवल दिया है, वह है एक झांसी का और दूसरा है गोरखपुर का। इनको एम्स की तरह का इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक दफा हमारे सभी साथियों की भावनाओं का बहुत कद्र करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6111/15/11]

अपराह्न 12.35 बजे

विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): श्री पी. चिदम्बरम की ओर से, मैं अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाला विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम, 1967 में आगे संशोधन करने वाला विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जितेन्द्र सिंह: मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 29.12.11 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.35½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे जाएंगे। सदस्यगण, जिन्हें आम नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं अगले बीस मिनट में सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां दे सकते हैं। उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा जिनके बारे में पर्चियां निर्धारित समय सीमा में पटल पर प्राप्त हो जाऐंगी और शेष को व्ययगत माना जाएगा।

(एक) देश में उर्वरकों की कीमत नियंत्रित करने और किसानों को उचित कीमत पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): हमारी यू पी ए सरकार ने यूरिया, पोटाश और फास्फेट-आधारित उर्वरकों का मूल्य निर्धारित करने के लिए उर्वरक उत्पादक कंपनियों को अनुमति दी है। साथ ही साथ, सरकार ने किसानों को सहायता के रूप में राज सहायता की एक निर्धारित धनराशि देने का वायदा किया है। यूरिया देश के उर्वरक उपभोग का लगभग 50% है।

यदि कतिपय तथ्यों को उदधृत करें, तो फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावन्कोट लि; (एफएसीटी) कोच्चि के द्वारा उत्पादित यूरिया की लागत 5540 रुपए प्रति टन है। मूल्यों के विनियंत्रण के बाद, इसकी लागत 17,540 रुपए प्रति टन हो जाएगी। फैक्टम फॉस का मूल्य 8420 रुपए प्रति टन है जो बढ़कर 20,755 रुपए प्रति टन हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति एम ओ पी, 20:20, 10:26:26, डी ए पी और सुपर फॉस्फेट के साथ है।

इस प्रकार, उच्च मूल्यों से उक्त उर्वरकों के उपभोग में काफी कमी आएगी और इससे खाद्यान्न उत्पादन की लागत में तीव्र वृद्धि होगी।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

कुछ वर्षों तक इस्पात, सीमेन्ट, आटोमोबाइल्स, इत्यादि में कोई कमी होने से इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उर्वरकों के उपभोग में अधिक कमी आने से खाद्यान्न उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जिससे जनता के जीवन के साथ खतरनाक खिलवाड़ होगा।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह किसानों के हित में सभी प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों से विनियंत्रित करके और किसानों को समुचित मूल्य, स्थान और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर एक बार पुन: विचार करे।

(दो) तमिलनाडु में कुड्डालोर पत्तन को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): तमिलनाडु में स्थित मेरा संसदीय क्षेत्र कुड्डालोर बंगाल की खाड़ी के तट पर पुदुचेरी के दक्षिण में स्थित दक्षिण भारत में एक तेजी से वृद्धि करता हुआ औद्योगिक शहर है। पत्तन के पास में कई क्रसिंग मिले हैं और चीनी मिलें कुड्डलोर के समीप नीलीकुप्पम, पेन्नाडैम और मुण्डियमपक्कम में भी स्थित हैं। चेन्नई से रामेश्वरम तक दक्षिण रेलवे मीटर गेज मेन लाइनें कुड्डालोर जंक्शन से होकर गुजरती हैं। हासपेट-बेल्लारी क्षेत्र के बीच रानीगुण्टा, अरक्कोणम, चेंगलपट्टू और विल्लूपुरम से होकर एक सीधा मीटर गेज रेलवे सम्पर्क है। कुड्डालोर पत्तन सड़कों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। कुड्डालोर अपने सिल्वर बीच के लिए जाना जाता है। यह तीन नदियों नामत: पेन्नयार नदी, केदीलम और परवानर का संगम स्थल है। गेदीलम नदी शहर से होकर बहती है और पुराने शहर को नए शहर से अलग करती है। वहां ताप विद्युत संयंत्र, उर्वरक संयंत्र हैं, एक रसायन परियोजना और जहाज निर्माण परियोजना भी क्षेत्र में आ रही है। संयुक्त उद्यम की पद्धति पर शियमेन्ट और कार्गो सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कुड्डालोर पत्तन को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यहां 3 आर. सी. सी. कार्गो शेड्स है जिसमें प्रत्येक का 'प्लिन्थ एरिआ' 720 वर्गमीटर है। 293 - 293 वर्ग मीटर के दो मौजूदा 'ट्रान्जिस्टम शेड्स' कार्गो सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मैं कुड्डालोर पत्तन को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ विकसित करने का निवेदन करता हूं ताकि दक्षिण भारत की औद्योगिक गतिविधियों की मांगों को पूरा किया जा सके।

(तीन) मध्य प्रदेश के इंदौर में बंद पड़ी कपड़ा मिलों को फिर से चालू किए जाने और बंद की गई मिलों के कर्मकारों को उनका बकाया दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास): इन्दौर शहर पूर्व में मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कपड़ा उद्योग के नाम से विख्यात रहा है। इन्दौर शहर में कपड़ा उद्योग लगातार लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहा। लगभग 40 वर्ष पूर्व कपड़ा उद्योग में आई मंदी एवं गिरावट के दौर में इन्दौर की मिलें भी इससे अछूती नहीं रही और मिलें घाटे में आने लगी। तब देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने मध्य प्रदेश की 7 मिलों के साथ ही इन्दौर के 3 मिलों का भी राष्ट्रीयकरण सन् 1972 में किया था। मिलों का राष्ट्रीयकरण करके केन्द्र में राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग निगम (एन.टी.सी.) का गठन किया और इसी निगम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत मिलों का संचालन भी किया जाता रहा। सन् 2002 में एन.टी.सी. द्वारा इन्दौर की तीनों मिलों (मालवा मिल, कल्याण मिल, स्वदेशी मिल) को बंद कर दिया गया। मिलें बंद करते समय कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसमें इन्दौर की एक मिल को चलाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। किंतु कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसके बाद भी इन्दौर की एक भी मिल चालू नहीं की गई और न ही इसके लिए कोई कार्यवाही की गई। इसकी वजह से हजारों मिल मजदूर बेरोजगार हो गए और इनके परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं तथा इस वजह से आज तक सैंकड़ों मजदूर आत्म-हत्या कर चुके हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक परीक्षण दल भेजकर कपड़ा मिल चालू करवाने की पहल करें एवं अपने वादे को निभाए तथा मध्य प्रदेश सरकार को इन्दौर की बंद पड़ी हुकुमचंद मिल की जमीन बेचकर मजदूरों के हक का 229 करोड़ रुपया दिलवाने हेतु निर्देशित करें।

(चार) मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरणीय मिशन के अंतर्गत निष्पादित कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने हेतु केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): माननीय अध्यक्षा जी, मैं सदन का ध्यान केन्द्र सरकार की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य में हो रहे अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल ही में राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने जेएनएनयूआरएम के तहत उज्जैन के लिए मंजूर पेयजल सप्लाई लाइन डालने के 60 करोड़ के प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपये की अनियमितता का प्राथमिक मामला पकड़ा है और जांच प्रकरण दर्ज किया है। यह घटना इस बात की मिसाल है कि मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में कितनी और कैसी लापरवाही बरती जा रही है। इसके पूर्व उज्जैन में ही "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क" योजना और "केन्द्रीय सड़क निधि" के तहत मंजूर प्रोजेक्टों मे अनियमितताओं की शिकायत मैंने की थी। मेरी शिकायत पर केन्द्र सरकार ने जांच दल भेजा। जांच दल ने जाकर जब मौके पर हालात देखें तो यह पाया कि इन योजनाओं के तहत मंजूर की

गई सड़कें हकीकत में बनाई ही नहीं गई तथा कागजों में सड़क का निर्माण पूर्ण दिखाकर पूरा पैसा निकाल लिया गया और जो सकड़ें बनाई गई हैं वो मात्र छः महीने में ही टूटकर खराब हो गई है।

मेरा आग्रह है कि जेएनएनयूआरएम के तहत मंजूर किए गए मध्य प्रदेश के प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच दल भेजा जाए।

(पांच) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में करवापा और चाना की लघु सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गड़चिरोली-चिमूर): महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र का एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र के गड़चिरोली जिले की तालुका धानोरा में कारवापा और तालुका मूलचेरा में चन्ना लघु सिंचाई प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्लियरेंस न मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसकी वजह से गड़चिरोली जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित है, में आदिवासी किसान अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह गड़चिरोली आदिवासी जिले की कारवापा व चन्ना लघु सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति इन परियोजनाओं से लाभांवित होकर राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सके।

(छह) उत्तराखंड में छठे वेतन आयोग की प्रसुविधाएं दिए जाने तथा राज्य के समूह 'घ' कर्मचारियों को सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति देने हेतु राज्य सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी छठे वेतनमान के वास्तविक लाभ एवं 1 सितम्बर, 2008 से ए.सी.पी. के लाभ प्राप्त करने के लिए आंदोलनरत हैं। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारी अपने कार्यों को भली प्रकार संपादित कर रहे हैं। उसके बाद भी इन्हें अब तक उक्त दोनों लाभ नहीं दिए गए हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह इन अल्प वेतन भोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सितम्बर, 2008 से छठे वेतनमान का लाभ प्रदान करे।

(सात) गुजरात में महुआ और भावनगर के बीच दैनिक रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाए जाने और अमरेली और ढासा के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): आज हमारे अमरेली जिला को रेलवे के विकास की सख्त जरूरत है। रेलवे के विकास के बिना उस जिले का विकास संभव नहीं है, क्योंकि उस जिले की आबादी लगभग 12 लाख है और वहां के 80 प्रतिशत लोग रोजी-रोटी के लिए छोटे-छोटे व्यापार से जुड़े हुए हैं और हजारों लोग प्रतिदिन अपनी रोजी-रोटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार के आवागमन करते हैं।

आज हमारे जिला में जो रेलवे लाइन है वह राजुला, अमरेली, सावरकुण्डला, ढसा, लिलिया, डामनगर, पिपावा जैसे क्षेत्र को जोड़ता है लेकिन यहां मुख्य समस्या यह है कि जो एक ट्रेन महुआ से भावनगर सुबह में चलती है वही ट्रेन शाम में वापसी न होकर वह अगले दिन सुबह में वापसी होती है। इससे यात्री को एक रात वहां रूकता पड़ जाता है या फिर उन्हें बस में 125 रु. से 150 रु. किराया खर्च कर आना पड़ता है और इससे समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

मैं रेलवे मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि महुआ से भावनगर तक प्रतिदिन सुबह में दो ट्रेन जाने के लिए और उसी दिन दो ट्रेन वापसी के लिए चलाये ताकि वहां की जनता की समस्या है, वह समाप्त हो सके और महोदय साथ ही साथ वहां की जनता की एक मांग वर्षों से चली आ रही है वह यह है कि क्षेत्र को जोड़ने वाली जितनी भी नैरोगेज या मीटरगेज लाइन हैं उन्हें ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाये और विशेषकर अमरेली से ढसा तक जो लाइन है, उन्हें शीघ्र ही ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाये।

(आठ) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने और असंतुष्ट कपास किसानों को वित्तीय राहत दिए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): देश के कपास उत्पादक किसानों को उनके लागत मूल्य के अनुसार दाम नहीं मिलने से वे परेशान हैं। पिछले वर्ष वैश्विक बाजार में कपास के मूल्य में तेजी के कारण देशांतर्गत दामों में उछाल आने से किसानों को 6500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिला था लेकिन इस वर्ष वैश्विक बाजार में कपास के मूल्य में आई मंदी के कारण देश में भी कपास के दाम गिर गये हैं। किसानों की बढ़ती लागत मूल्य का विचार किये बिना न्यूनतम समर्थन में कोई बढ़ोतरी किये बिना 3200 रुपये

प्रति क्विंटल दाम सुनिश्चित करने से किसानों पर कुठाराघात हुआ है। इससे स्थानीय स्तर पर निजी व्यापारियों ने कपास खरीद में दाम घटाकर किसानों से कम दामों में खरीद शुरू की, फलस्वरूप किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग ने 2011-12 के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 900 रुपये की बढ़ोत्तरी की सिफारिश करने के बाद कपास का मूल्य 4200 रुपये प्रति क्विंटल होने के अनुमान से किसानों को थोड़ा दिलासा मिल सकती थी लेकिन सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं करने से किसान निजी व्यापारियों की गिरफ्त में फंसकर औने-पौने मूल्य में कपास बेच रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कपास के खरीद केन्द्र नहीं खोलने से किसानों का दोहरा शोषण हो रहा है।

देश के कपास उत्पादक क्षेत्र में अधिक संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कपास उत्पादक क्षेत्र को किसान आत्महत्या प्रवण क्षेत्र कहा जाता है। कपास का लागत मूल्य के अनुसार खरीद मूल्य नहीं मिलने से किसानों और आत्महत्या की तरफ बढ़ सकता है। बढ़ती महंगाई, बीज, खाद और मजदूरी के बढ़ते मूल्यों को देखते हुए कपास का कम से कम 6000 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल दाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आज इसी मांग को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन के माध्यम से संघर्ष किया जा रहा है। इन संघर्षरत किसानों की जायज मांग को देखते सरकार किसानों के कपास का समर्थन मूल्य 6 से 7 हजार रुपये तथा कपास उत्पादक किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें प्रति एकड़ 20 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए। मैं कपास उत्पादक किसानों के आजीविका से जुड़े मामले पर सरकार द्वारा तत्काल कारवाई करने की पुरजोर मांग करता हूं।

(नौ) प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गृह उपलब्ध कराए जाने तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से इंदिरा आवास के निर्माण का भी उपबंध किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंदिरा आवास की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों की सूची बहुत लंबी है एवं प्रति ग्राम पंचायत उपलब्धता केवल एक अथवा दो होने के कारण पात्रता के बावजूद भी उन्हें इंदिरा आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

अत: प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, आदिवासी, निशक्तजन, विधवा एवं अन्य आरक्षित/सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. धारकों को जो इंदिरा आवास की पात्रता रखते हैं, को कम से कम पांच इंदिरा आवास प्रति वर्ष आवंटित किये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश:बजट आवंटन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध है।

साथ ही चूंकि यह सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में काफी लंबी है अत: शीघ्रता से इसे पूरा करने के लिए सांसद निधि से इंदिरा आवास निर्माण हेतु (लंबित प्रतीक्षा सूची में से ही सांसद के विवेकाधीन कोटे अनुसार) अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध है।

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि मेरे उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर संबंधित प्राधिकारी को समुचित निर्देश जारी करें।

(दस) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोडासा रेलवे स्टेशन पर रेक प्वाइंट सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है जो कि आज आजादी के 64 सालों के बाद भी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में रेलवे का विकास न होने के कारण ज्यादा उद्योग नहीं लगे हैं तथा पूरा क्षेत्र आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करता है।

हमारे क्षेत्र में रेल सेवाओं की कमी है तथा जो रेल सेवाएं उपलब्ध हैं उनकी स्पीड बहुत कम है। क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी गुड्स रैक प्वाइंट फेसिलिटी भी पूरे क्षेत्र में नहीं है। 25 लाख से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में जीवनोपयोगी सामग्री तथा कृषि से संबंधित खाद तथा अन्य वस्तुएं अन्य क्षेत्रों से सड़क मार्ग द्वारा लाई जाती हैं जो कि हर समय वाहन उपलब्ध नहीं होने से समय पर नहीं पहुंच पाती है और यह आवागमन काफी खर्चीला होता है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मोडासा रेलवे स्टेशन पर "रैक प्वाइंट" की सुविधा प्रदान की जाए। मैंने रेलवे विभाग के सामने यह मांग रखी थी, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसकी वजह से स्थानीय लोग आक्रोशित है तथ जन-आंदोलन करने की सोच रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि संबंधित रेल अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर उपरोक्त क्षेत्र को रेक प्वाइंट फेसिलिटी प्रदान करें।

(ग्यारह) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि उद्योगों की स्थापना करने हेतु अधिगृहित की गई है, उद्योगों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): देश में खेती बाड़ी वाली भूमि पर उद्योग लगाये जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत किसानों की जमीन जन सुविधा के नाम पर ली जाती है और उसी जमीन को उद्योगपतियों को आवंटित की जाती है। नियमानुसार उद्योग को बंजर भूमि पर एवं कम से कम भूमि में लगाना चाहिए जिससे खाद्यान्न उत्पादन पैदा करने वाली भूमि का क्षेत्र कम न हो सके। उपजाऊ भूमि पर उद्योग लगने से कृषि भूमि का क्षेत्र कम हो रहा है और जमीन से वंचित होने पर किसान बेरोजगार हो रहे हैं और किसानों को विस्थापित किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में कई किसानों की जमीन उद्योग धंधों के लिए कई सालों से ली जा रही है और किसान विस्थापित एवं बेरोजगार हुए हैं। किसानों की जमीन लेने के बाद उद्योग धंधों में इन किसानों को नौकरी भी नहीं दी जाती है और सरकारी मुआवजा बाजार मूल्य से बहुत ही कम होता है।

सरकार से अनुरोध है कि जब भी किसानों की जमीन उद्योग धंधों के लिए एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए ली जाए उनमें किसानों को उद्योगों में भागीदारी मिले जिससे किसान के परिवार का लालन पालन हो सके।

(बारह) पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में केंद्रीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में मौजूद भूमि बहुत ही उर्वर है। यहां एक राज्य कृषि फार्म भी है। इस राज्य कृषि फार्म के अन्तर्गत वहां काफी भूमि है। वहां अनुसंधान कार्य भी किया जा रहा है। यह क्षेत्र एक कृषि क्षेत्र है और यहां की जनता कृषि पर निर्भर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दक्षिण दिनाजपुर, पंश्चिम बंगाल में एक केन्द्रीय कृषि कालेज खोला जाए ताकि इस क्षेत्र और पूरे उत्तरी बंगाल की जनता लाभान्वित हो सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: पूनिया जी, बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शून्य प्रहर शुरू हो गया है। कृपया शांत हो जाइये। बैठिये, बैठ जाइये।

पूनिया जी आप बोलिये।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया।

अनुसूचित-जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा संविधान में की गई विशेष व्यवस्थाओं के बावजूद इस वर्ग के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अनुसूचित-जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वर्ष 1995 में बनाए गए नियम के अनुसार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई, लेकिन अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो अत्यन्त गम्भीर विषय है। आज देखने में आता है कि पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और यदि किसी दबाव में रिपोर्ट दर्ज भी कर ली जाती है तो पुलिस किसी न किसी दबाव में अपराधियों को ही संरक्षण देती नज़र आती है। यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा तो पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा और बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है।

90 प्रतिशत से भी अधिक बलात्कार की शिकार अनुसूचित-जाति, जनजाति की महिलाएं हो रही हैं। इससे ऐसा साफ प्रतीत होता है कि या तो वर्तमान कानून में कोई कमी है या इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है, जिसकी समीक्षा की जानी अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित-जाति, जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये तथा उक्त कानून की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन भी किया जाये।

अध्यक्ष महोदया: श्री कमल किशोर कमांडो को श्री पी.एल. पुनिया के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं "शून्य काल" में सभा के संज्ञान में अत्यावश्यक तत्काल लोक महत्व के निम्नलिखित मामलों पर चर्चा करूंगा।

तमिलनाडु राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इसमें कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और औद्योगिक रूप से भी सुधार हो रहा है। आजकल, तमिलनाडु सारे देश से लोगों को काम के अवसर मुहैया करा रहा है। तमिलनाडु औद्योगिक गतिविधियों का गढ़ भी बन गया है। इस सबके लिए, विद्युत अत्यधिक आवश्यक है और यह विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। इस कारण, विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन विद्युत के उत्पादन में ठहराव है। तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण लगभग 1500 मेगावाट तक निर्धारित और गैर निर्धारित लोड-शेडिंग के लिए मजबूर हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं।

कृषि पम्प-सेटों को बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है जिससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तमिलनाडु की राज्य सरकार ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि पूर्ति और मांग के अन्तर को कम किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, किसानों और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने केन्द्रीय पूल से 2012 में बनने वाली 1000 मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त आवंटन करने का निवेदन किया। तमिलनाडु के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह केन्द्रीय पूल में तमिलनाडु को 1000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत मंजूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे हिमाचल प्रदेश को जलविद्युत परियोजना में बनने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने वाले विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो पर्वतीय और सीमावर्ती प्रांत है, इसमें मुख्य रूप से जलविद्युत और वन सम्पदा ही हमारे यहां मिनरल के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं में पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रकरण अनेक बार प्रदेश की सरकार की ओर से प्रेषित किया गया। इस संबंध में रंगराजन कमेटी ने भी हिमाचल प्रदेश को जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की थी। उक्त रिपोर्ट को योजना आयोग ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं. 17/2/91-एफ आर, दिनांक 20-01-1993 द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी।

महोदया, हिमाचल प्रदेश में अन्य किसी प्रकार की खनिज सम्पदा नहीं है। वहां केवल जल एवं वन ही मुख्य खनिज सम्पदा के रूप में विद्यमान हैं। यदि इनके नियमानुसार दोहन पर भी जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति केन्द्र सरकार नहीं देगी, तो प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। हिमाचल प्रदेश ने स्वयमेव यह निर्णय लिया है कि वन-वर्धन (सिल्वीकलचर) हेतु अथवा सिलैक्टिव साइंटिफिक फैलिंग के अंतर्गत भी वनों को बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश संपूर्ण इंडो-गैंजेटिक प्लेन की पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। इस कारण प्रति वर्ष उसे हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन देश के स्वास्थ्य और विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है।

महोदया, मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं में पैदा की जाने वाली विद्युत 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको श्री वीरेन्द्र कश्यप के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, आज लोक सभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। हमारे स्तर पर बड़ी चूक हुई है और इस कारण से हम इस देश के समक्ष उत्पन्न गंभीर स्थिति के मुद्दे को नहीं उठा पाए हैं। मैं इस देश की जटिल आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। न तो इस सदन में सरकार अपने आप कोई वक्तव्य देने आई और न ही हम इस मुद्दे को उठा पाए हैं क्योंकि हम अन्य मुद्दों से घिरे रहे हैं।

आज की स्थिति क्या है? अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है। आर्थिक विकास की दर घटकर 7 प्रतिशत से भी नीचे आ गई जो कि अब तक कभी नहीं हुआ है। निवेश में गिरावट आई है। निजी और सार्वजनिक निवेश में कमी आ गई है। बैंक ऋणों में गिरावट दर्ज हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आयी है। शेयर बाजार में विदेशी निवेश

धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। डालर के मुकाबले रुपये का बाह्य मूल्य अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। चालू खाता घाटा 70,000 करोड़ रुपये हो गया है जो हाल की अवधि में कभी नहीं रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई है। कृषि उत्पादन अस्थिर हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप नौकरियों में कमी आयी है और रोजगार सृजन में गिरावट आयी है। पूरी अर्थव्यवस्था पर मंदी का गंभीर प्रभाव है। इस गिरावट के साथ मुद्रास्फीति की समस्या भी है। अतएव, देश को कई वर्षों बाद पहली बार मुद्रास्फीति जनित मंदी का सामना करना पड़ रहा है।

महोदया, आप कृपया इस बात को मानें कि विश्व भी आर्थिक मंदी के दूसरे चरण के मुहाने पर है। ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में यह मंदी वर्षों तक बनी रहेगी। विश्व मांग में कमी आने के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात में कमी आयी है परंतु रुपये के बाह्य मूल्य में कमी आने से भारतीय आयात बढ़ गया है और इसीलिए महंगायी बढ़ गयी है। इसीलिए, लोगों में निराशा है। उच्चतम राष्ट्रीय मंच द्वारा इस स्थिति को भुलाया नहीं जा सकता। हम कई मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाने की सोच रहे हैं। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि बजट सत्र से पहले आर्थिक स्थिति पर जो कि देश के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण हैं और हमें स्पष्ट है; पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए क्योंकि चुनाव के कारण बजट सत्र अस्थगित किया जा सकता है। हमें स्थिति की गंभीरता की जानकारी है। सरकार हमसे बात नहीं कर रही है और न ही हम सरकार से बात कर पा रहे हैं। देश के लोग यह समझते हैं कि कृषक आत्महत्या कर रहे हैं परंतु इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है, लोगों की नौकरियां छूट रही है और इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक है और इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है। इसलिए यह निराशापूर्ण ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री गुरुदास दासगुप्त की बात के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्तः यह लोक महत्त्व का मामला है ... *(व्यवधान)* मैं मूल्य वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मुद्रास्फीति जनित मंदी की बात कर रहा हूं जो कि मूल्य वृद्धि से अलग बात है। यहां हर कोई अज्ञान बना रहना चाहता है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अर्थव्यवस्था की इतनी खेदजनक स्थिति पहले कभी नहीं रही जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। लोगों की निराशा बढ़ रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में सरकार की कार्यनीति क्या है? सरकार की कार्यनीति क्या है? मौद्रिक नीति पस्त हो गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक रेप्रो रेश्यो तथा रिवर्स रेप्रो रेश्यो की दरों में 13 बार परिवर्तन कर चुका है परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निवेश दिनोंदिन कम होता जा रहा है। कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हो रहा है। देश के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को देश को बताना चाहिए कि इस स्थिति से निपटने के लिए उसकी रणनीति क्या है तथा उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए अतएव, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार इस संदर्भ में अपनी कार्यनीति स्पष्ट को और गंभीर आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना जाए।

अध्यक्ष महोदयाः डॉ किरीट सोलंकी को श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उनके साथ जुड़ने की अनुमति है।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): इस माह हमने बंग्लादेश की मुक्ति की 40वीं वर्षगांठ मनायी है। यह भारतीय सशस्त्र सेना तथा इस राष्ट्र के लिए कदाचित सबसे अच्छा समय था। परंतु अध्यक्ष महोदया, वह समय मर्मस्पर्शी तत्त्व का पुट लिए हुए है। अभी तक भी 54 युद्धबंदी हैं जो पाकिस्तानी जेलों में सड़ रहे हैं। इस संबंध में बार-बार साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उससे जुड़े पत्र हैं, चश्मदीद गवाहों तथा उन लोगों के उद्धरण हैं जो उन जेलों में सड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि बहु-अनुशासनिक जांच और अन्वेषण एजेंसियों का तुरंत गठन किया जाए जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों की जांच करेगी और उस एजेंसी को एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद यह मामला पाकिस्तानी सरकार के साथ उठाना चाहिए ताकि हम मामले को बंद कर सकें क्योंकि हम उन परिवारों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं जो 40 वर्षों से भी अधिक समय से यह भी नहीं जानते कि उनके अपने जीवित भी हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि सामूहिक रूप से हमें मिलकर उन व्यक्तियों को घर लाने का दायित्त्व पूरा करना चाहिए जिन्होंने 1971 में इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया था।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले को अत्यधिक महत्त्व दिया जाए और प्राथमिकता के साथ उठाया जाए।

अध्यक्ष महोदयाः श्री महेश जोशी, श्री हरीश चौधरी, श्री इज्यराज सिंह, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री कमल किशोर कंमाडों और श्री दुष्यंत सिंह को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उनके साथ जुड़ने की अनुमति है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री संजय तकाम (अरूणाचल पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, वर्ष 1999-2000 में अरूणाचल प्रदेश में 2000 मेगावाट की लोअर सबन श्री जल-विद्युत परियोजना राष्ट्रीय जलविद्युत निगम को सौंपी गई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सर्वेक्षण और जांच कार्य में लगभग 14 वर्ष का समय लगा। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम को सौंपे जाने के पांच वर्षों के बाद भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। तकरीबन 80% निर्माण कार्य राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा पूरा कर लिया गया है। हाल ही में, अचानक से असम में श्री अखिल गोगोई के नेतृत्व में कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने न केवल उपद्रव किया अपितु पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था को भी तहस-नहस कर डाला। असम सहित सारे पूर्वोत्तर राज्यों को बेहद विशिष्ट और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदया, श्री अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले इस संगठन का पूर्वोत्तर में माओवादी आंदोलन चलाने वाले सीपीआई (एम) के साथ गठजोड़ बनाने बताया जाता है। इतिहास में पहली बार उनके द्वारा गठजोड़, गोला-बारूद एकत्र करने, असम आई आर बी एम पर हमला करने, कानून और व्यवस्था एजेंसियों पर हमला करने तथा शस्त्र छीनने संबंधी प्रमाणिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। एक सप्ताह होने जा रहा है। लोगों सहित 200 से भी अधिक वाहन अरूणाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम की भारी मशीनों सहित सभी भारी उपस्करों को निर्माण स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है। यह हमारे देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर चुनौती है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए इस संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए कि हमारे देश की आंतरिक, बाह्य और राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे।

[हिन्दी]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया: आपका जीरो ऑवर में नाम नहीं है। मैं आपको बाद में चांस दूंगी।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भूमि अधिग्रहण के मामले को सदन में उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर जिले में कोयले की खानों और पावर प्लांट्स के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण होता रहा है और होने जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का है, जो कि बहुत पुराना है। उस पर कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है और सरकार द्वारा बार-बार कहा जाता है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं जो किसानों के हित में होगा, विस्थापित किसानों को न्याय देने वाला होगा। लेकिन बरसों से मांग चली आ रही है कि कानून बदला जाए और ग्रामीण विकास मंत्री जी इस बारे में घोषणा भी कर चुके हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बिल को जल्द से जल्द लेकर आएगी और भूमि अधिग्रहण कानून विस्थापितों के हित में होगा। सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र चन्द्रपुर की बात करना चाहता हूं। हमारे यहां कोयले की खानों और पावर प्लांट्स के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है। जिलाधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है तो प्रति एकड़ 20,000 रुपए से 40,000 तक का ही मुआवजा दिया जाता है। यह अतिशय बहुत कम मूल्य किसानों को दिया जा रहा है। जो किसान विस्थापित हो रहे हैं, उनमें इस बात को लेकर भारी रोष और गुस्सा है। वे कई बार आंदोलन कर चुके हैं और हमने भी आंदोलन किया है। इस तरह से किसानों की जो लूट हो रही है, उनकी भूमि का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो घोषणा की है कि वह भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में नया कानून बनाने जा रही है और सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। तो सरकार ऐसा आदेश निकाले कि जब तक नया कानून नहीं बनेगा, तब तक पुराने कानून के अंतर्गत जो 1894 का एलए एक्ट है या 1957 का कोल-बीअरिंग एक्ट है, इन दोनों के अंतर्गत भी भूमि अधिग्रहण पर रोक लगे और नया कानून बनने तक सरकार किसानों को न्याय देने के लिए इस कानून को जल्दी से जल्दी बनाए। यह विनती मैं आपको माध्यम से करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री ए.टी. नाना पाटील और श्री दानवे राव साहेब पाटील स्वयं को भी हंसराज गं. अहीर के निवेदन से संबद्ध करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): थैंक्यू मैडम स्पीकर। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने खास कारण से, कम समय की सूचना के बावजूद, मुझे खास पर्मिशन दी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर तमाम सदन का ध्यान भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु आकर्षित करना चाहूंगा।

मैडम स्पीकर, यह मामला किसी खास पार्टी या व्यक्ति का नहीं है, यह मामलों लाखों व्यक्तियों का नहीं बल्कि करोड़ों व्यक्तियों का है। देश की प्राचीन भाषा, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी भाषा भोजपुरी भाषा, जो न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों की है बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत प्रभाव है। यह भाषा न सिर्फ आम लोगों की भाषा है बल्कि यह मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहते हैं उन सर शिवसागर रामगुलाम की भाषा है। ...*(व्यवधान)* भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की भाषा है, सम्पूर्ण क्रांति के महानायक जयप्रकाश नारायण जी की भाषा है, परम आदरणीय बाबू जगजीवन राम की भाषा है, हमारे भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व वित्त मंत्री, यशवंत सिन्हा जी की भाषा है। किसी को राष्ट्रीय सम्पत्ति का नारा आज दिया जा सकता है तो हमारे मित्र लालू प्रसाद जी हैं, उनकी भाषा है। स्पीकर महोदया, भोजपुरी आपकी भाषा हमारी भाषा है। फिर भी इस भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)* भिखारी ठाकुर की भाषा है। ...*(व्यवधान)* करीब 20-25 करोड़ लोगों की यह भाषा है और ...*(व्यवधान)* आज तक सबसे मशहूर अगर कोई रोडियो नाटक हुआ है तो वह भोजपुरी नाटक "लोहा सिंह" हुआ है। जिस लोहा सिंह का असर आज भी हमारे मित्र लालू यादव जी में कई बार दिखाई पड़ता है।

श्री लालू प्रसाद (सारण): भोजपुरी महेन्द्र मिश्र की भाषा है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: महेन्द्र मिश्र की भाषा है। ऐसे-ऐसे गुणी, नामचीन और बढ़िया लोगों की भाषा है, बड़े लोगों की भाषा है। मैंने लालू यादव जी को इसलिए राष्ट्रीय सम्पत्ति कहा, जैसे नेशनल पक्षी हमारा मोर है, उसी तरह से लालू यादव जी की लोकप्रियता देश-विदेश में, पाकिस्तान में है तो मैं समझता हूं कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के साथ-साथ अगर लालू यादव जी को भी राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाए। अभी हमने एक बहुत ही बढ़िया, लोकप्रिय प्रोग्राम भोजपुरी में किया है "के बनी करोड़पति।" यह प्रोग्राम भोजपुरी में बहुत लोकप्रिय हुआ और खास बात उसमें यह रही कि वह प्रोग्राम जब भोजपुरी लोग देखते हैं तो उन्हें तो पसंद आता ही है लेकिन साथ ही साथ जो भोजपुरी बोल नहीं सकते हैं, उन्हें भी यह समझ में आती है। हमारे दो मैथिली के दो लोग हैं, कीर्ति आजाद जी हैं, हुक्मदेव नारायण यादव जी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): शत्रुघ्न सिन्हा जी की भी भाषा हैं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं तो आपका अपना हूं, आपका भाई हूं, आपके घर का आदमी हूं। मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे-ऐसे लोग जो धाराप्रवाह भोजपुरी बोल नहीं सकते हैं वह भी भोजपुरी को समझ सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

तमिल बहुत अच्छी भाषा है, तेलुगु अच्छी भाषा है, पंजाबी बहुत अच्छी भाषा है, बंगाली बहुत अच्छी भाषा है। ...*(व्यवधान)* हमारे अपने जय महाराष्ट्र की मराठी भाषा बहुत अच्छी है, कन्नड़ अच्छी भाषा है। सारी भाषाएं अच्छी होती हैं। गुजराती वगैरह सब बहुत अच्छी भाषाएं है। हमारे यहां एक से एक बढ़कर भाषाएं हैं और बहुत सारी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है और सही शामिल किया गया है। मैथिली विद्वानों की भाषा है। लेकिन और भी भाषाएं जैसे बोड़ोलैंड की भाषा है, मणिपुर की भाषा है, जिन्हें अनुसूची में शामिल किया गया है, जो बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं मेरा कहना यह है कि जो कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं, उन भाषाओं को भी शामिल किया गया है और सही हुआ है। लेकिन करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, जो 25 करोड़ लोगों की भाषा है, ऐसा लोग कहते हैं, यह देश-विदेशों में भी लोकप्रिय भाषा है, लेकिन उसे आज तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए जो हमारी इतनी भोजपुरी फिल्में बन रही हैं और जिनकी तारीफ हो रही है, जिनके कारण पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है, श्री संजय निरूपम, हमारे छोटे भाई उधर बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत सहारा और सहयोग दिया है। लेकिन उन फिल्मों को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए महत्व नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया: डॉ. गिरिजा व्यास, आप बोलिये।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैडम, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं शायद पहली बार आपके सामने बोल रहा हूं, इसलिए शायद आपके सामने सही-सही नहीं बोल पा रहा हूं या फिर थोड़ा झिझक रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप भोजपुरी का एक वाक्य बोलकर समाप्त कीजिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: मैं वही करने वाला हूं। मैं इसके बाद बंगाली पर नहीं जाऊंगा, मराठी पर नहीं जाऊंगा, मैं भोजपुरी पर रहूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि यह करोड़ों लोगों की भाषा है और जो हमारी भोजपुरी फिल्में बाहर जाती हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ नहीं बना पाती हैं, चूंकि यह भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जिस दिन भोजपुरी भाषा को यहां से संविधान की वैलिडिटी एक्सेप्टेबिलिटी, रिस्पेक्टेबिलिटी और

लीगेलिटी मिलेगी तो शायद हमारी फिल्में और भोजपुरी इंडस्ट्री जो फल-फूल रहा है और तरक्की कर रहा है, यह और नये आयाम और मुकाम तक पहुंच पायेगी।

इसलिए मैं आज आपके सामने पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। माननीय प्रधान मंत्री जी सामने बैठे हैं, मैं नतमस्तक होकर, नम्रतापूर्वक प्रधान मंत्री जी को प्रणाम करते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि भोजपुरी भाषा को जल्द से जल्द बाकी भाषाओं की तरह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे। बाकी भाषाओं की तरह सारी भाषाएं अच्छी होती हैं, मां सबकी अच्छी होती है, लेकिन अपनी मां से बढ़कर नहीं हो सकती। यही कहते हुए मैं चाहूंगा कि भोजपुरी भाषा को जल्द से जल्द भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जो भी माननीय सदस्य अपने आपको एसोसिएट करना चाहते हैं, वे सदन के सभा पटल पर अपने नाम भेज दीजिए। डॉ. गिरिजा व्यास, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सर्वश्री पी.एल. पुनिया, डॉ. गिरिजा व्यास, श्री रामकिशुन, श्री नीरज शेखर सिंह, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री कीर्ति आजाद, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री संजय जायसवाल, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री रमेन डेका, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, प्रो. रामशंकर, श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री कमल किशोर कमांडो, श्री निनोंग ईरींग, श्रीमती मीना सिंह, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, श्री रतन सिंह, श्रीमती संतोष चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री पी.टी. थॉमस, डॉ. काकोली घोष दस्तिदार, श्री अयज कुमार तथा श्री शैलेन्द्र कुमार अपने आपको श्री शत्रुघ्न सिन्हा के विषय से सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये और उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलेन का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य की भावना से अपनी भावना, राजस्थान के समस्त सदस्यों की भावना और राजस्थानवासियों की भावनाओं को सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को भी सम्मिलित किया जाए।

महोदया, यह वह भाषा है, जिसकी भाषा में लिखे हुए दोहों से हमारे वीरों की भुजाएं फड़फड़ा उठती थीं और वे वीरगति की परवाह किये बगैर युद्ध को जारी रखते थे। यह हमारी अस्मिता और हमारी वीरता की भाषा है। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं–'मां ही एड़ों पूत जण्यो, जेड़ों वीर प्रताप, सोया सूं अकबर डरे, जाणि सिहाने सांप।' केवल इस बात को सोचकर कि अकबर तक जैसे सिरहाने सांप को देखकर डरता है, ऐसे पूत को तू जन्म दे। इस बात को सुनकर माताओं के मुख ये यह बात निकलती थी कि अपनी कोख से हम भी ऐसे ही पुत्रों को जन्म दें। एक ऐसी भाषा, जिसने उपनिषदों की अच्छी ट्रांसलेशन करके उन्हें जनभाषा तक पहुंचाया। ऐसी भाषा, जिसने साहित्य को सर्वोपरि पहुंचाया, चाहे वह कहानी जगत हो, उपन्यास जगत हो या कविता जगत हो, उसमें अपना स्थान बनाया। जो भाषा आज की संस्कृति के अनुरूप है, जो भाषा समसामयिक भी है, जिस भाषा मे अनेक फिल्में, गीत बने हैं और हमारी संस्कृति हमारी इस भाषा के द्वारा ही जानी जाती हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि यदि आज के एपिसोड भी देख लें, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूं कि आप फिल्में देख लें, उनमें भी राजस्थान की संस्कृति की छाप ही हमेशा दिखाई देती है। हमारी भाषा के बगैर हमारी संस्कृति उच्च स्तर पर पहुंच नहीं सकती। इसलिए हम सबकी तरफ से सरकार से अपील है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थान की भाषा को सम्मिलित करने का कष्ट करें तथा भोजपुरी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप लोग अपने नाम सदन के सभा पटल पर भेज दीजिए।

श्री पी.एल. पुनिया, श्री दुष्यंत सिंह, श्री अजय कुमार, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री महेश जोशी, श्री हरीश चौधरी, श्री पी.टी. थॉमस, श्री ताराचन्द भगोरा, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, श्री लाल चंद कटारिया, श्री इज्यराज सिंह, श्री बद्री राम जाखड़, श्री रतन सिंह, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, श्री गोपाल सिंह शेखावत, श्री भरत राम मेघवाल, श्रीमती काकोली घोष दस्तिदार, श्री कमल किशोर कमांडो, डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा उठाये गये विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

अपराह्न 1.05 बजे

रूस में भगवद्गीता पर प्रतिबंध के संबंध में अदालती मुकदमे के बारे में

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह जानकारी इस सम्मानीय सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। महोदया, मुझे खेद है कि मेरी आवाज साफ नहीं है। विपक्ष के नेता और अन्य सभी माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जब यह खबर आई थी कि रूस में ताशकंद में कुछ संगठनों ने न्यायालय में जाकर भगवद्गीता की अतिवादी भाषा के कारण इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, तो काफी विद्रोह हुआ था।

कल, मुझे विदेश सचिव से यह जानकारी मिली कि जिस उच्चतम न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई हो रही थी, उसने याचिका को खारिज़ कर दिया है और स्पष्ट रूप से यह कहा कि जिन लोगों ने याचिका दायर की है और टिप्पणियां की हैं, उन्होंने भी भाषा के मूल पाठ को नहीं पढ़ा है। उन्होंने किसी के अनुवाद को पढ़ा है और उसके आधार पर वे त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। जैसा कि माननीय विदेश मंत्री ने, माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि ऐसा करना निरर्थक था और रूसी के न्यायालय के निर्णय से भी संभवत: उनकी इस टिप्पणी की ही पुष्टि ही होती है।

मुझे लगा कि मुझे इस जानकारी से माननीय सभा को भी अवगत कराना चाहिए।

अपराह्न 1.06 बजे

विदाई संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, पंद्रहवीं लोक सभा का नौंवा सत्र जो कि 22 नवम्बर, 2011 को शुरू हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान हमारी 24 बैठकें हुई और सदन 85 घंटे और 01 मिनट तक चला।

सत्र के दौरान महत्त्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य किए गए। मांगों पर मतदान होने और संबंधित-विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व 3 घंटे और 24 मिनट तक 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा की गई।

2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) पर 13 और 16 दिसंबर, 2011 को चर्चा की गई। मांगों पर मतदान होने और विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व यह चर्चा 5 घंटे 21 मिनट तक चली जिसमें 96 सदस्यों ने भाग लिया।

सत्र के दौरान, 27 विधेयक पुर:स्थापित किए गए और 18 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयक हैं–दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011; नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष उपबंध) द्वितीय विधेयक, 2011; जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009; पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2011; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011; प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधयेक, 2011; आढती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011; भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 2011; संविधान (111वां संशोधन) विधेयक, 2009।

सभा ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 और सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 भी पारित किया।

इस सत्र के दौरान, 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिसमें से केवल 41 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका। अत:, औसतन, प्रतिदिन लगभग 2005 प्रश्नों का ही उत्तर दिया गया जो कि बेहद कम है, और आप इससे सहमत होंगे। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर तथा 4600 अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

सदस्यों द्वारा प्रश्न-काल के दौरान और शाम को देर तक बैठकर अविलंबनीय लोक महत्त्व के लगभग 168 मामले उठाए गए।

माननीय सदस्यों ने नियम 377 के तहत् 314 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों द्वारा सभा में 34 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

सभा में अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषयों अथवा नियम 193 के अंतर्गत दो लघुकालिक चर्चाएं भी की गईं; नामत: (1) वित्त मंत्री द्वारा भारत में मुद्रा स्फीति की स्थिति के संबंध में 22 नवम्बर, 2011 को सभापटल पर रखे गए विवरण पर; और (ii) गंगा नदी और हिमालय के निष्ठुरता से दोहन के कारण इनके अस्तित्व के लिए उत्पन्न खतरे की स्थिति। इन दोनों महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा

संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के साथ समाप्त हुई। श्री बसुदेव आचार्य के विषय "देश में बढ़ते कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं" पर आंशिक चर्चा की गई।

इस सत्र के दौरान, विदेशी बैंकों में अवैध रूप से जमा धनराशि से उत्पन्न स्थिति और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाही संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर 5 घंटे और 36 मिनट तक चर्चा की गई और सभा द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

सभा में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव कि दोनों सदनों की एक समिति बनाई जाए जिसे "अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति" कहा जाए, को भी स्वीकृत किया गया।

इस सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्तावों द्वारा तीन महत्त्वपूर्ण मामले अर्थात (i) आई डी बी आई लिमि. के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति; (ii) सफाई कर्मचारियों की जीवन-रक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता और उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान करना; तथा (iii) देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में एनसिफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति, उठाए गए। इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का भी उत्तर दिया।

मंत्रियों द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य पर प्रस्तुत चार वक्तव्यों के साथ-साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर लगभग 39 वक्तव्य दिए गए।

दुर्भाग्यवश, यह हम सभी के लिए गहन चिंता का विषय है कि सत्र के दौरान बलात् सदन को स्थगित कराए जाने के कारण सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्य से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किए जा सका।

इस सत्र के दौरान सभा की कार्रवाई 22 घंटे और 12 मिनट देर तक चली। लेकिन, यह खेद की बात है कि बलात् स्थानों के परिणामस्वरूप व्यवधानों के कारण लगभग 76 घंटे और 21 मिनट का समय बर्बाद हुआ। इन बलात् स्थगनों से संसद का प्राधिकार और सर्वोच्चता प्रभावित होती है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सभापतियों के पैनल के मेरे सहयोगियों को सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में दी गई उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद करनी हूं। मैं सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और यूपीए की अध्यक्षता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और सदन के माननीय सदस्यों की उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं, आप सभी की तरफ से मीडिया के हमारे मित्रों का भी धन्यवाद करती हूं।

मैं इस अवसर पर महासचिव का उनके द्वारा दी गई यथोचित और विशिष्ट सहायता के लिए आभार व्यक्त करती हूं। मैं लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का सभा के प्रति उनकी समर्पित और त्वरित सेवा देने के लिए धन्यवाद करती हूं।

मैं इस अवसर पर महासचिव का उनके द्वारा दी गई यथोचित और विशिष्ट सहायता के लिए आभार व्यक्त करती हूं। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का सभा के प्रति उनकी समर्पित और त्वरित सेवा देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं, सभा की कार्यवाही को चलाने में उचित सहायता प्रदान करने वाली अन्य एजेंसियों का भी धन्यवाद करती हूं।

मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं।

अनेक माननीय सदस्य: आपको भी, नव वर्ष की शुभकामनाएं, महोदया।

अपराह्न 1.15 बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण कृपया खड़े हो जाएं क्योंकि अब वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी।

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:èkèkwww.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।